झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना
प्रचालन मार्ग निर्देशिका

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना

प्रचालन मार्ग निर्देशिका

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग,
झारखण्ड सरकार

Scanned with CamScanner

विषय सामग्री

(झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना)

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
	पृष्ठभूमि	6-8
	योजना का उद्देश्य	8-9
	योजना के संचालन के लिए तकनीक को अपना योजना	9
	कार्यान्वयन विभाग	10
	कार्यान्वयन एजेंसी	10
	अनुश्रवण एवं समन्वय समिति तथा नोडल अधिकारी	10-12
	योजना का प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता	12-14
	किसानों का आच्छादन, पात्रता एवं अपवाद	14-15
	फसल एवं फसल कैलेंडर	15-16
	जोखिम से आच्छादन एवं अपवाद	16
	परिभाषा-प्राकृतिक आपदा एवं सामान्य अपवाद	17
	ग्राम, ग्राम-पंचायत, प्रखंड एवं जिले की जनगणना को डिंग और मैपिंग	17
	किसान द्वारा यूआईडी (आधार) प्रदान करना	18
	किसानों का पंजीकरण की प्रक्रिया	18-19
	कृषकों के निबंधन के उपरांत की प्रक्रिया	19-20
	फसल क्षति का आकलन	20-21
	फसल क्षति की रिपोर्टिंग एवं आकलन	21-23
	ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए एजेंसी-वार नमूना चयन	23
	फसल क्षति मुआवजा	24-25
	किसानों को मुआवजे के निपटान की प्रक्रिया और निधि का प्रेषण	25
	योजना के लिए नोडल बैंक एवं बैंक के संचालन की प्रक्रिया	25-26
	PFMS Portal पर योजना का ऑन-बोर्डिंग एवं समन्वय	26-27
	बजट और प्रावधान -प्रावधानों पर विस्तार	27
	तकनीकी सहायता टीम या इकाई	27-28
	शिकायत निवारण एवं लाभार्थियों के शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया	28-29
	विभिन्न संस्थाओं/अभिकरणों (Agencies) की भूमिका एवं जिम्मेदारियां	30-36
	समिति के कार्य जिम्मेदारियां	37-38
	नोडल पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियां	39-40
	समय-सीमा	41-42
	अनुलग्नक	43-48

Scanned with CamScanner

संक्षिप्तीकरण / Abbreviations

क्र.सं.	संक्षिप्त	विस्तार
	ए.डब्ल्यू.एस. / AWS	स्वचालित मौसम केंद्र| Automatic Weather Station
	ए.वाई. / AY	वास्तविक उपज| Actual Yield
	सी.सी.ई. / CCE	फसल कटाई प्रयोग| Crop Cutting Experiment
	सी.एस.सी. / CSC	जन सेवा केंद्र| Common Service Center
	डी.बी.टी. / DBT	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण| Direct Benefit Transfer
	डी.सी.सी.बी. / DCCB	डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को -आपरेटिव बैंक| District Central Cooperative Bank
	डी.एल.सी.सी. / DLCC	जिला स्तरीय समन्वय समिति| District Level Coordination Committee
	एफ.आई. / FI	वित्तीय संस्थान| Financial Institution
	जी.आई.एस. / GIS	भौगोलिक सूचना प्रणाली| Geographical Information System
	आई.एम.डी. / IMD	भारतीय मौसम विज्ञानं विभाग| Indian Meteriological Department
	आई.एस.आर.ओ. / ISRO	भारतीय अंतरिक्ष अनुशंधान संगठन| Indian Space Research Organization
	आई.टी. / IT	सूचना प्रोद्योगिकी| Information Technology
	एल.पी.सी. / LPC	भूस्वामित्व प्रमाण पत्र | Land Possession Certificate
	एम.आई.एस. / MIS	सूचना प्रबंधन प्रणाली| Management Information System
	एस.एल.सी.सी. / SLCC	राज्य स्तरीय समन्वय समिति| State Level Coordination Committee
	एस.ओ.पी. / SOP	मानक प्रचालन प्रक्रिया| Standard Operating Procedure
	टी.वाई. / TY	थ्रेशोल्ड उपज| Threshold Yield
	यु.आई.डी.ए.आई. / UIDAI	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण| Unique Identification Authority of India
	सी.आई. / CI	अंचल निरीक्षक| Circle Inspector
	सी.ओ. / CO	अंचला धिकारी| Circle Officer
	एस.एल.सी.सी. / SLCC	राज्य स्तरीय समन्वय समिति| State Level Coordination Committee
	बी.एल.सी.सी. / BLCC	प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति| Block Level Coordination Committee
	पी.एल.सी.सी. / PLCC	पंचायत स्तरीय समन्वय समिति| Panchayat Level Coordination Committee

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक / Appendix

क्र. सं.	अनुलग्नक	विवरण	पृष्ठ संख्या
	अनुलग्नक– I	क्षेत्र सर्वेक्षण पंजीप्रारूप	42
	अनुलग्नक– II	PLCC द्वारा ग्राउंड ट्रूथिंग सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन	43
	अनुलग्नक–III	BLCC द्वारा ग्राउंड ट्रूथिंग सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन	44
	अनुलग्नक–IV	DLCC द्वारा ग्राउंड ट्रूथिंग सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन	45
	अनुलग्नक– V	BLCC द्वारा चयनित पंचायत-वार सर्वेक्षकों की सूची	46
	अनुलग्नक– VI	पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र	47

1. पृष्ठभूमिः-

राज्य में लगभग 38 लाख किसान हैं और लगभग 38 लाख हेक्टेयर भूमिपर खेती करते हैं। उनमें से लगभग 25 लाख किसान 2 हेक्टेयर तक के छोटे और सीमांत कृषक हैं।

पिछले 3 वर्षों से यह देखा जा रहा है कि राज्य में मानसून का प्रभाव अच्छा नहीं रहा है, जो कृषि एवं कृषक समुदाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान मानसूनी वर्षा में महत्वपूर्ण विचलन हुआ है। वर्ष 2017, 2018 और 2019 में मानसून के दौरान सामान्य वर्षा में क्रमशः –13%, –27.80% और 20.90% की कमी दर्ज की गई है। राज्य की सामान्य वर्षा जून–सितंबर की अवधि यानी खरीफ मौसम में 1027.7 मिमी है। इसके साथ ही माहवार अनियमित वर्षा भी देखी जाती रही है।

राज्य में मानसून की ऐसी प्रवृत्ति ने न केवल बुवाई को प्रभावित किया है, बल्कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार सूखे की घटना भी हो रही है। 2018 के दौरान 18 जिलों के 129 प्रखंडों और 2019 के दौरान 10 जिलों के 107 प्रखंडों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया। यह स्थिति राज्य के वैसे कृषक समुदाय के समक्ष बहुत सारी चुनौती लेकर आयी, जिनकी आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है।

वर्ष 2016 से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसल के नुकसान की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। लेकिन यह देखा गया है कि बीमा कंपनियों को दिए जाने वाले प्रीमियम के मुकाबले क्षतिपूर्ति दावों का निपटारा बहुत कम है और बड़ी मात्रा में सरकार की राशि बीमा कंपनियों को चला जाता है।

उदाहरण स्वरुप खरीफ मौसम में खरीफ 2016, खरीफ 2017 और खरीफ 2018 में भुगतान किया गया प्रीमियम क्रमशः 153.58 करोड़, 114.37 करोड़ और 225.54 करोड़ रुपये है, जब कि इसके विरूद्ध भुगतान क्रमशः केवल 29.26 करोड़ (54712 लाभार्थी), 36.76 करोड़ (1,05,731 लाभार्थी) और आंशिक भुगतान 13.67 करोड़ (48995 लाभार्थी) रुपये हैं

उपर्युक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि इस राज्य में चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में व्यय की जा रही राशि की तुलना में किसानों को अपेक्षित लाभ अभी तक नहीं पहुँच पाया है।

Scanned with CamScanner

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक प्रभावी वैकल्पिक मॉडल तैयार करने का निर्णय लिया गया, जिससे कि सार्वजनिक धन की बचत के साथ व्यय की जाने वाली राशि का वास्तविक लाभ किसानों को मिल सके।

इस अवधारणा के साथ, सार्वजनिक धन और किसानों के कल्याण दोनों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) के नाम से एक नई योजना की घोषणा की गई है। यह योजना मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल क्षति की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके।

2. पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्थिति :

(क) किसानों का पंजीकरण और बीमित क्षेत्रः

निम्नअंकित तालिका से यह स्पष्ट है कि इस योजना के तहत पंजीकरण की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अब तक पिछले तीन वर्षों में खरीफ और रबी दोनों मौसमों के दौरान कुल 33.79 लाख किसान पंजीकृत किए गए हैं और 13.02 लाख हेक्टेयर भूमिको आच्छादित किया गया है।

Registered Farmers			
Season	2016	2017	2018
Kharif	828501	1165152	1220386
Rabi	41620	49067	75118
Total	**870121**	**1214219**	**1295504**

Area Insured (Lakh Hec)			
Season	2016	2017	2018
Kharif	3.52	2.67	5.73
Rabi	0.21	0.27	0.62
Total	**3.73**	**2.94**	**6.35**

विगत तीन वर्षों से पंजीकृत प्रति किसान की औसत जोत खरीफ मौसम के लिए 0.37 हेक्टेयर और रबी मौसम के लिए 0.03 हेक्टेयर लगभगहै।इसलिए होल्डिंग्स को छोटे और सीमांत होल्डिंग्स के रूप में माना जा सकता है।

यह भी देखा जा सकता है कि खरीफ 2016 में बीमित 8.28 लाख किसानों के विरूद्ध बीमित क्षेत्र का क्षेत्रफल 3.52 लाख हेक्टेयर था, जबकि खरीफ 2017 में 11.65 लाख किसानों के विरुद्ध बीमित क्षेत्र का क्षेत्रफल 2.6 लाख हेक्टेयर था जो कि 2016 के मुकाबले लगभग 32% कम था। खरीफ 2018 में बीमित कुल किसान 12.20 लाख और बीमित क्षेत्र का क्षेत्रफल 5.73 लाख हेक्टेयर था।

2017 के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा किसानों की संख्या में लगभग 41% की वृद्धि हुई, जबकि 2018 में खरीफ मौसम के लिए वृद्धि की दर केवल 4.74% थी। रबी मौसम में, 2016 के मुकाबले 2017 में किसानों की संख्या में लगभग 19% की वृद्धि हुई, जबकि 2018 में रबी में किसानों की संख्या में 2017 के मुकाबले 53% की वृद्धि हुई।

Scanned with CamScanner

(ख) बीमा कंपनी को प्रीमियम भुगतान, क्षति पूर्ति राशि का भुगतान एवं किसानों को लाभः

प्रत्येक वर्ष बीमा कंपनियों को प्रीमियम के रूप में बड़ी राशि का भुगतान किया जाता है। अब तक पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रीमियम के रूप में राज्य के द्वारा कुल 512.55 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और क्षतिपूर्ति दावा निपटारा मात्र 82.86 करोड़ रुपये है, जो कि कुल प्रीमियम का लगभग केवल 16% ही है।

Total Premium (In Crore Rs)			
Season	2016	2017	2018
Kharif	151.58	114.37	225.54
Rabi	3.85	9.19	8.02
Total	**155.43**	**123.56**	**233.56**

Claim Settlement (in Rs Crore)			
Season	2016	2017	2018
Kharif	29.26	37.36	13.67
Rabi	1.27	1.3	0
Total	**30.53**	**38.66**	**13.67**

Benefitted farmers			
Season	2016	2017	2018
Kharif	54712	105371	48995
Rabi	3615	3854	0
Total	**58327**	**109225**	**48995**

प्रीमियम के भुगतान के विरूद्ध दावों का निपटारा 2016, 2017 और 2018 खरीफ मौसम में क्रमशः 19.31%, 32.67%, 6.06% (आंशिक) है, जब कि रबी 2016–17 एवं 2017–18 में निपटारा क्रमशः 33% एवं 14% था।

इसके अलावा वास्तविक आच्छादन की तुलना में लाभान्वित किसानों की संख्या भी बहुत कम हैं पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 33.79 लाख पंजीकृत किसानों में से केवल 2.25 लाख किसानों को लाभ हुआ है जो मात्र 6.66% है।

2. योजना का उद्देश्यः-

नई प्रस्तावित योजना झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) फसल बीमा योजना न हो कर फसल क्षति होने पर किसानों को प्रदान की जाने वाली एक क्षतिपूर्ति योजना है। यह किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति के मामले में सुरक्षा कवच प्रदान करने तथा एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करने के संकल्प को पूरा करेगा। यह योजना भू:स्वामी तथा भूमिहीन किसान, दोनों को आच्छादित करेगा। किसानों को इस योजना के तहत किसी भी प्रकार के फसल बीमा प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा उन्हें सीधे तौर पर सरकार द्वारा फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

Scanned with CamScanner

JRFRY का उद्देश्य निम्नलिखित हैः-

- अनापेक्षित प्राकृतिक आपदा अथवा घटना क्रम के कारण फसल क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- कृषि कार्य को जारी रखने के लिए किसानों की आय को सुदृढ़ करना।
- कृषि कार्य हेतु वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित करना।
- खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण, कृषि में तीव्र विकास तथा प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त करना।

3. योजना के संचालन के लिए तकनीक को अपना योजनाः-

योजना के कार्यान्वयन तथा संचालन में प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना पोर्टल (www.jrfry.jharkhand.gov.in) को विकसित किया जा रहा है। इससे समस्त हितधारकों जैसे किसान, राज्य तथा बैंकों के बीच बेहतर प्रशासन तथा समन्वयन के साथ–साथ अद्यतन सूचनाओं का प्रसार एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

पोर्टल का सफल संचालन विभिन्न हितधारकों द्वारा अपनी–अपनी भूमिका तथा सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा।

कार्यान्वयन एजेन्सी अथवा विभिन्न राजकीय हितधारको द्वारा प्रत्येक फसलीय मौसम के दौरान राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित समय सीमा में मूलभूत सूचनाओं जैसे कि अधिसूचित क्षेत्र, फसल आच्छादन, इकाई क्षेत्र इत्यादि से संबंधित सूचना को प्रासंगिक मोड्यूल में Digitizedjosc पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। इससे किसानों तथा अन्य हितधारकों को इन्टरनेट अथवा अन्य ऑनलाईन सुविधा के माध्यम से सम्बंधित सूचनाओं को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

योजना के संचालन के लिए सभी हितधारकों की पोर्टल पर सम्बंधित मोड्यूल तक पहुँच, भूमिका व उत्तर दायित्व निर्धारित होगी। प्रत्येक हितधारक हेतु मोड्यूल के दिशा–निर्देश का विवरण पोर्टल पर ही सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध होगा।

पोर्टल पर सभी हितधारकों जैसे राज्य सरकार, बैंक तथा संबंधित सरकारी कर्मी हेतु विशेष रूप से सुरक्षित क्रेडेंशियल/Login ID प्रदान किया जायेगा ताकि उनके द्वारा अपेक्षित सूचनाओं की प्रविष्टि/अपलोड/डाउनलोड की जासके।

इस योजना के अंतर्गत पात्र कृषक वही होंगे, जिनकी जानकारी JRFRY Portal पर अपलोड की गयी है।

JRFRY Portal पर क्षतिपूर्ति की गणना आदि की उद्देश्य से फसल –वार, क्षेत्रवार विगत वर्षों के उपज आंकड़े, मौसम के आंकड़े, बुवाई क्षेत्र, क्षतिपूर्ति के आंकड़े, आपदा वर्षों तथा (अद्यतन) वास्तविक उपज सम्बन्धी सभी आंकड़े उपलब्ध कराये जायेंगे।

कार्यान्वयन एजेन्सी अथवा संबंधित एजेन्सी फसल की स्थिति /फसल क्षति सर्वेक्षण इत्यादि कार्यों के लिए प्रोद्योगिकी/मोबाइल एप्लीकेशन का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेगी। बेहतर निगरानी तथा भू–सत्यापन के लिए राज्य सरकार द्वारा सेटेलाईट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग, Automated Weather Stations अथवा ड्रोन के प्रयोग एवं अन्य सम्बंधित तकनीकों को बढ़ावा दिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

4. कार्यान्वयन :-

यह योजना मुख्य रूप कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों यथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगि की विभाग, योजना–सह–वित्तविभाग, सूचना एवं जन–संपर्क विभाग के साथ –साथ अन्य केन्द्रीय एजेंसी, यथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र (NIC), प्रज्ञाकेंद्र (CSC), PFMS, NPCI एवं अन्य सम्बंधित सरकारी संस्थानों का भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

5. कार्यान्वयन एजेंसीः-

राज्य में इस योजना का कार्यान्वयन कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा कार्यालय–निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड के माध्यम से किया जायेगा। कार्यालय–निबंधक सहयोग समितियाँ झारखण्ड, राँची इस योजना के लिए नोडल एजेन्सी होंगी। निबंधक सहयोग समितियाँ झारखण्ड, राँची इस योजना के राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी होंगे।

इसके अतिरिक्त अन्य सहयोगी कार्यान्वयनों से संबंधित सभी निदेशालय इस योजना के नोडल एजेन्सी के साथ सहयोग करेगी।

6. अनुश्रवण एवं समन्वय समिति तथा नोडल अधिकारीः-

इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन, अनुश्रवण, समन्वय और सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए पाँच स्तरों पर एक–एक समिति का निम्नवत् गठन किया जाता हैः–

(क) राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) :-

योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः–

क्र. सं.	समिति के पदाधिकारी	पदनाम
	विकास आयुक्त, झारखण्ड	अध्यक्ष
	प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची	सदस्य
	प्रधान सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची	सदस्य सचिव
	प्रधान सचिव/सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची	सदस्य
	प्रधान सचिव/चिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची	सदस्य
	प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची	सदस्य
	प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची	सदस्य

Scanned with CamScanner

क्र. सं.	समिति के पदाधिकारी	पदनाम
	प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची	सदस्य
	निबंधक, सहयोग समितियां, झारखण्ड, रांची	सदस्य-सह-राज्य नोडल पदाधिकारी
	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची	सदस्य
	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखण्ड, रांची	सदस्य
	निदेशक, भारतीय मौसम विभाग, झारखण्ड, रांची	सदस्य
	SIO, NIC, झारखण्ड, रांची	सदस्य

(ख) जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) :-

योजना के सुचारू कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता वाली एक जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) का गठन निम्नानुसार किया जाता है:–

क्र.स.	समिति के पदाधिकारी	पदनाम
	उपायुक्त	अध्यक्ष
	अपर समाहर्ता	सदस्य
	जिला सहकारिता पदाधिकारी	सदस्य-सह-जिला नोडल पदाधिकारी
	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी	सदस्य
	जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य
	प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक/नामित बैंक	सदस्य
	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	सदस्य
	परियोजना निदेशक, आत्मा	सदस्य
	DIO, NIC	सदस्य

(ग) प्रखण्ड स्तरीय समन्वय समिति (BLCC) :-

प्रखण्ड स्तर पर योजना के सुचारू कार्यान्वयन और निगरानी के लिए अंचल अधिकारी की अध्यक्षता वाली एक प्रखण्ड स्तरीय समन्वय समिति (BLCC) का गठन निम्नानुसार किया जाता है:–

क्र.स.	समिति के पदाधिकारी	पदनाम
	अंचल अधिकारी	अध्यक्ष
	अंचल निरीक्षक	सदस्य
	प्रखंड कृषि पदाधिकारी	सदस्य
	प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी/सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	प्रखंड स्तरीय नोडल पदाधिकारी

Scanned with CamScanner

क्र.स.	समिति के पदाधिकारी	पदनाम
	प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी	सदस्य
	ग्राम-पंचायत पर्यवेक्षक	सदस्य

(घ) पंचायत स्तरीय समन्वय समिति (PLCC):-

पंचायत स्तर पर योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए मुखिया की अध्यक्षता वाली एक पंचायत स्तरीय समन्वय समिति (PLCC) का गठन निम्नानुसार किया जाता है:–

क्र.स.	समिति के पदाधिकारी	पदनाम
1	मुखिया	अध्यक्ष
2	सभी ग्राम प्रधान	सदस्य
3	पंचायत सचिव	सदस्य-सह-नोडल पदाधिकारी
4	ATM / BTM	सदस्य
5	हल्का कर्मचारी	सदस्य
6	लैम्पस / पैक्स के अध्यक्ष / सदस्य सचिव	सदस्य
7	जनसेवक	सदस्य

(ड़) विभागीय कार्यकारी समिति (DEC) :-

योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभाग स्तर पर विभागीय कार्यवाही समिति (DEC) का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

क्र.स.	समिति के पदाधिकारी	पदनाम
1	अपरमुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखण्ड, राँची	अध्यक्ष
2	संबंधित विशेष सचिव / अपरसचिव / संयुक्त सचिव	सदस्य सचिव
3	निदेशक कृषि झारखण्ड, राँची	सदस्य
4	निबंधक सहयोग समितियाँ झारखण्ड, राँची	राज्य नोडल पदाधिकारी
5	बिरसा कृषि विश्व विद्यालय, राँची के प्रतिनिधि	तकनीकी सदस्य
6	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, राँची	सदस्य

7. योजना का प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता:-

इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार राज्य सरकार के द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (IPRD) के माध्यम से राज्य, जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, होर्डिंग, बैनर, हैण्डबिल, SMS, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से लगातार किया जायेगा। साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यशाला / सेमिनार / जागरूकता अभियान इत्यादि का भी आयोजन किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

जिलों के सभी गाँवो में योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। योजना को लागू करने में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंटमीडिया, किसान मेले, प्रदर्शनियों, एसएमएस, लघु फिल्मों और वृत्त चित्रों आदि सभी संभव साधनों का उपयोग कृषकों के बीच योजना के प्रावधानों और लाभों के बारे में जागरूकता तथा प्रचार–प्रसार करने के लिए किया जायेगा।

निबंधक कार्यालय सहयोग समितियाँ झारखण्ड, राँची फसल मौसम शुरू होने से कम से कम तीन माह पहले जागरूकता और प्रचार सामग्री के लिए सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग (IPRD) के साथ मिल कर उचित कार्य–योजना तैयार करेंगे। IPRD अभियान के सभी साधनों के लिए डिजाइन विकसित करेगी।

योजना का प्रचार–प्रसार खरीफ मौसम के लिए अप्रैल के प्रथम सप्ताह से मई के अंतिम सप्ताह तक तथा रबी फसल मौसम के लिए अगस्त के प्रथम सप्ताह से सितम्बर के अंतिम सप्ताह तक "कृषक संपर्क अभियान" के माध्यम से किया जायेगा एवं यथा संभव प्रत्येक कृषकों तक इस योजना का संदेश प्रसारित किया जायेगा।

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखंड, राँची कृषि विपणन बोर्ड, कृषि निदेशालय, पशुपालन निदेशालय, गव्य निदेशालय और मत्स्य निदेशालय संयुक्त रूप से "कृषक संपर्क अभियान" को लागू करेंगे।

सफल "कृषक संपर्क अभियान" हेतु प्रत्येक पंचायत के लिए एक अलग टीम काम करेगी। राज्य नोडल पदाधिकारी सभी जिला उपायुक्तों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रत्येक पंचायत के लिए अधिकारियों/प्रसार कर्मचारियों की सूची तैयार करवाते हुए कार्य योजना बनायेंगे तथा "कृषक संपर्क अभियान" को पंचायत स्तर तक कार्यान्वित करेंगे।

कृषक सम्पर्क अभियान के लिए सभी जिला उपायुक्त प्रत्येक पंचायत के लिए 5 कर्मचारियों की एक टीम बनायेंगे, जिसमें वरिष्ठतम फील्ड कर्मचारी को "संपर्क समन्वयक" बनाया जाएगा। वरिष्ठ समन्वयक टीम के अन्य सदस्यों के कार्य के लिए जिम्मेदार होंगे और कृषक संपर्क अभियान को लागू करेंगे। पंचायत स्तर की टीम का मुख्य कार्यगांवों के प्रत्येक किसान को योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देना है। अभियान टीम प्रमुख स्थानों पर पोस्टर प्रदर्शन/चिपकाने का कार्य और किसानों के बीच पत्रक का वितरण भी सुनिश्चित करेगी। टीम पोस्टरों की तस्वीरें/स्नैपशॉट भी लेगी और पोर्टल पर अपलोड करेगी या योजना के लिए उनके नोडल पदाधिकारी को भेज देगी।

प्रखंड स्तर पर प्रखण्ड स्तरीय नोडल पदाधिकारी सम्पर्क अभियान के लिए नोडल अधिकारी होंगे और नियमित रूप से प्रचार अभियान का अनुश्रवण करेंगे और दैनिक आधार पर प्रतिवेदन उपायुक्त को सौंपेंगे। उपायुक्त कृषक सम्पर्क अभियान की साप्ताहिक समीक्षा भी सुनिश्चित करेंगे।

प्रत्येक स्तर पर नोडल पदाधिकारी एक सोशल मिडिया/मोबाईल फोन के माध्यम से अधिकारी अथवा कर्मचारियों से सम्पर्क में रहेंगे तथा किसी भी प्रकार के मुद्दे अथवा समस्या का निश्पादन करेंगे।

जिला स्तर पर, उपायुक्त जिले में कृषक संपर्क अभियान का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। आवश्यकता के आधार पर उपायुक्त जिले में कृषक सम्पर्क अभियान के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए किसी एक जिला स्तरीय अधिकारी को नियुक्त भी कर सकते है तथा अभियान के प्रारम्भ में 15 (पन्द्रह)

Scanned with CamScanner

दिनों तक विशेष अभियान का आयोजन सुनिश्चित करेंगे। विशेष अभियान प्रारम्भ होने के निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व प्रेस सम्मेलन आयोजित करेंगे एवं विशेष अभियान की समाप्ति के दिन संध्या में प्रेस सम्मेलन का आयोजन करेंगे।

IPRD द्वारा तैयार किया हुआ पोस्टर और पत्रक जैसी प्रचार सामग्री का प्रारूप कार्यालय निबंधक सहयोग समितियाँ के द्वारा जिलों के नोडल पदाधिकारियों को प्रेशित किया जायेगा। प्रचार–प्रसार सामग्री की संख्या, साईज, प्रकार, प्रदर्शन स्थान इत्यादि के लिए अलग से दिशा–निर्देश जारी किया जायेगा। पोस्टर और पत्रक के मुद्रण एवं प्रेषण हेतु अलग से दिशा–निर्देश जारी किया जायेगा। साथ ही प्रचार सामग्री लगाने/चिपकाए जाने तथा मुद्रण कार्य में व्यय की दरों का निर्धारण इस योजना के कार्यान्वयन नोडल एजेन्सी के द्वारा किया जाएगा और इसे अलग से जिलों को सूचित किया जाएगा।

जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी प्रत्येक वर्ष खरीफ मौसम के शुरू होने से पहले यानी 30 जून तक कृषक सम्पर्क अभियान/प्रचार–प्रसार का कार्य पूर्ण करेंगे।

संपर्क समन्वयक द्वारा सम्बंधित प्रतिवेदन प्रखंड नोडल पदाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर के साथ जिला नोडल पदाधिकारी को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जायेगा। निर्धारित प्रारूप में पोस्टरों के प्रदर्शन और पत्रक के वितरण की पूरी रिपोर्ट राज्य नोडल पदाधिकारी को प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई तक संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी के द्वारा प्रेषित किया जायेगा। प्रतिवेदन प्रारूप अनुलग्नक– पर संलग्न है।

(नोटः किसी भी महामारी या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रचार और जागरूकता अभियान और उसकी रिपोर्टिंग को नोडल विभाग/नोडल एजेंसी द्वारा पुनर्निर्धारित किया जा सकता है या प्रचार के वैकल्पिक मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। प्रचार की वैकल्पिक व्यवस्था बड़ी संख्या में एसएमएस, सोशल मिडिया, ऑडियो विजुअल टूल्स और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली की पारंपरिक विधि, समाचार पत्र आदि के रूप में हो सकता हैं)

कोई भी कृषक योजना के बारे में जागरूकता और प्रचार के लिए अथवा अन्य किसी सहायता हेतु किसान वेबसाइट, कॉमन सर्विस सेंटर/LAMPS/PACS, ग्रामसभा या किसी भी अन्य संबंधित अधिकारियों से योजना का विवरण प्राप्त कर सकते हैं या वे मुख्यमंत्री किसान सहायता को शांग के हेल्प लाइन नंबर (लैंडलाइन 0651–2490542/मोबाइल–7632996429) पर भी संपर्क कर सकते हैं।

8. किसानों का आच्छादन, पात्रता एवं अपवादः-

इस योजना में लघु एवं सीमांत रैयत एवं गैर–रैयत दोनों प्रकार के कृषकों को शामिल किया जायेगा।

(a) रैयत–किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते है तथा पी0एम0–किसान पोर्टल पर पंजीकृत है।

(b) गैर–रैयत–किसान जो अन्य रैयतों की भूमिपर कृषि करते हैं।

(c) किसान झारखंड राज्य का नागरिक होना चाहिए।

(d) किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

(e) किसान के पास वैध आधार नं0 होना चाहिए।

Scanned with CamScanner

(f) सरकारी अथवा गैर–मजरुआ जमीन पर खेती करनेवाले कृषक जिनके पास राजस्व विभाग द्वारा बंदोबस्ती संबंधी पट्टा या अन्य दस्तावेज हो।

(g) कृषक न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि के लिए निबंधन करसकते हैं।

(h) यह योजना सभी कृषकों के लिए स्वैच्छिकहोगी।

नोटः- योजना के अंतर्गत अ.ज.जा./अ.जा./महिला/पहाड़िया जनजाति/आदिम जनजाति किसानों की अधिकतम आच्छादन सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।

अपवाद की शर्तेः-

वैसे किसान जिनके परिवार में वे स्वयं या एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणी में आते है, वे इस योजना में शामिल होने के पात्र नहीं होंगेः–

राज्य सभा/लोकसभा/विधानसभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य/राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री/नगरनिकायों के वर्तमान अध्यक्ष/जिला परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष

केन्द्र या राज्य, विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई/राज्य सरकार के मंत्रालय/PSE एवं सम्बद्ध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के सभी कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी (Multitasking Staff/Group–IV/Group–D के कर्मी को छोड़कर)

सभी Superannuated/सेवानिवृत्त पेंशन धारी जिन का मासिक पेंशन 10,000/–रूपया या अधिक है। (Multitasking Staff/Group–IV/Group–D के कर्मीको छोड़कर),

गत निर्धारण वर्ष (Assessment Year) 2020–21 में आय कर देने वाले सभी व्यक्ति।

Professionals जैसे–सभी निबंधित डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं।

9. फसल एवं फसल कैलेंडरः-

SLCC की अनुशंसा के आधार पर, निबंधक सहयोग समितियाँ, झारखण्ड फसल मौसम की शुरुआत से पहले प्रत्येक वर्ष खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए फसलों और फसल कैलेंडर को घोषित करेंगे।

हालांकि, राज्य में प्रचलन के अनुसार, खरीफ मौसम के लिए निम्नलिखित फसल कैलेंडर का पालन किया जा सकता है :–

Crop Calendar For Kharif Season			
S.No.	Crop	Sowing time	Harvesting Time
1	Maize	15th May-30th June	1 October-30 November
2	Paddy	15 May- 15 August	1 October-30 November

Scanned with CamScanner

इसके अतिरिक्त SLCC, DLCC की सिफारिशों के आधार पर विशेष जिलों के लिए विशिष्ट क्षेत्र की फसलों और उसके कैलेंडर की भी अनुशंसा कर सकती है। ऐसी सिफारिशें फसल के महत्व और आच्छादन के आधार पर की जाएंगी। यद्यपि, किसी भी स्थिति में फसल कैलेंडर को मौसम की शुरुआत से पहले घोषित किया जाएगा।

रबी मौसम के लिए फसल और फसल कैलेंडर की घोषणा LCC की अनुशंसा के बाद अलग से की जाएगी।

10. जोखिम से आच्छादन एवं अपवादः-

यह योजना फसल कैलेंडर के अनुसार फसल मौसम में विभिन्न अवस्थाओं में फसल क्षति से किसानों को आच्छादित करेगी। योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान पर ही विचार किया जाएगा।

राज्य में फसल के नुकसान सम्बन्धी विगत वर्षों के अनुभवों के आधार पर क्षतिपूर्ति के लिए फसल के निम्नलिखित चरणों पर विचार किया जाएगाः

बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति –बुवाई/रोपाई का फेल हो जाना (Prevented Sowing–Sowing/ Transplanting Failure):–

फसल की प्रकृति और फसल कैलेंडर के आधार पर, प्राकृतिक आपदाओं के कारण बुवाई/रोपाई के बाद फसल की विफलता या क्षति योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के लिए मान्य होगा।बुवाई/रोपाई की विफलता के मामले में अन्य प्राकृतिक आपदाओं को इस योजना के तहत नहीं माना जाएगा।

फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में (Damage during post sowing / transplanting to harvesting)–

बुवाई के बाद कटाई अवधि तक की फसल क्षतिको इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा।

सामान्य फसल कटाई समय से पूर्व 15 दिनों के भीतर प्रतिकूल स्थिति होने पर, यह प्रावधान लागू नही होगा।

फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में (Damage after post harvesting) :–

फसल चक्र के अनुसार फसल कटाई के पश्चात अधिकतम 14 दिनों तक सूखने के लिए फैलाकर उसे खेत में रखी जाती है तो इसी अवधि तक के लिए होने वाली क्षति का आकलन किया जायेगा।

किसी भी स्थिति में, खरीफ मौसम के लिए 15 दिसंबर के बाद किसी भी फसल के नुकसान पर विचार नहीं किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

11. परिभाषा-प्राकृतिक आपदा एवं सामान्य अपवादः-

प्राकृतिक आपदा धरती पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न एक प्रतिकूल घटना है। उदाहरण के लिए बाढ़, तूफान, बवंडर, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी, तूफान और अन्य भूगर्भीय प्रक्रियाएं प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आते हैं।

इसलिए, निम्नलिखित प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को, जो फसल को प्रभावित कर सकती हैं, इस योजना में शामिल किया जायेगाः–

a बाढ़ एवं जल भराव

b भूकंप

c ज्वाला मुखी विस्फोट

d भू–स्खलन

e सूखा या शुष्क हवाएं (यदि राज्य सरकार द्वारा सूखा घोषित नहीं किया गया है)

f व्यापक महामारी

g प्राकृतिक रूप से आग लगी

h वज्रपात

i आंधी

j मुसलाधार बारिश

k चक्रवात

योजना के अंतर्गत निम्नलिखित जोखिमों पर विचार नहीं किया जायेगाः-

1. युद्ध/नाभिकीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान,
2. दुर्भावना पूर्ण क्षति तथा अन्य निवारण योग्य जोखिमों, जैसे कि किसानों द्वारा अवैज्ञानिक तरीके से खेती करना आदि।
3. जंगली जानवरों के हमले के कारण नुकसान (इसके अंतर्गत फसल को होने वाले नुकसान को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार की योजनाओं के तहत आच्छादित किया जाएगा)।

12. ग्राम, ग्राम-पंचायत, प्रखंड एवं जिले की जनगणना को डिंग और मैपिंगः

योजना के सुचारू रूप सेकार्यान्वयन, अनुश्रवण और नियंत्रण के लिए एनआईसी, उच्च प्रशासनिक/राजस्व इकाइयों जैसे ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिलों और मौसम स्टेशनों/स्वचालित मौसम स्टेशन के साथ गांवों की जनगणना को डोंकोमैप करेगा। इससे पूरे राज्य में किसानों/क्षेत्रों के पहचान एवं उनके मैपिंग का एक मानक तंत्र तैयार हो सकेगा।

इसके अलावा, सटीक स्थान/क्षेत्र के लिए, नोडल एजेंसी और सहायक एजेंसियां अन्य ऐप्स जैसे क्षति रिपोर्टिंग/आकलन ऐप आदि के साथ एकीकरण के लिए डिजिटल प्रारूप पर जियो कोड (अक्षांष और देशांतर) के साथ मैप करते हुए तकनीकी प्रणाली को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगी।

Scanned with CamScanner

13. किसान द्वारा यूआईडी (आधार) प्रदान करना:

सरकार की योजनाओं के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार नं0 बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अतिरिक्त आधार नं0 योजना के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता लाने और DBT के माध्यम से भुगतान जारी करने में मदद करता है। वर्तमान में अधिकांश योजनाओं में आधार का उपयोग किया जाता है।

इसलिए इस योजना के तहत क्षतिपूर्ति के लिए आधार को अनिवार्य किया जाएगा। पात्र किसान स्व–घोषणा पत्र के माध्यम से अपने आधार का उपयोग करने की सहमति देंगे।

आधार आईडी न रखने वाले किसान भी JRFRY के तहत नामांकन कर सकते हैं तथा पिउन को आधार नं0 के लिए अपने नामांकन का प्रमाण भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 334 दिनांक 8 फरवरी, 2017 के अंतर्गत आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

अधिसूचना की प्रति योजना वेब पोर्टल पर अवलोकनार्थ अपलोड की जासकती है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए और अन्य निर्देश भी मान्य होंगे।

14. किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया:-

- कार्यान्वयन की प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए, इस योजना में प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया जाएगा और आवश्यकताओं के आधार पर, तकनीकी उन्नति की दिशा में समय–समय पर आवश्यक परिवर्तन और विकास को SLCC की अनुशंसा एवं निर्णय द्वारा तय किया जाएगा।
- पात्र किसानों का पंजीकरण केवल राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र (एनआईसी, रांची) द्वारा 15 विकसित किए गए ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
- एक पात्र किसान निम्नलिखित तरीकों से इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कर सकता है:

b पात्र किसान को ऑनलाईन एक आवेदन पत्र भरना होगा, जिसमें जोत भूमि का विवरण बोए जान वाले फसल का नाम, बोए जाने वाले फसल का क्षेत्र, आवेदक का आधार संख्या बैंक खाता संख्या, IFSC कोड इत्यादि का विवरण भरना आवश्यक होगा तथा आवेदक के आधार कार्ड की हार्डकॉपी, बैंक खाता (जिसमें खाताधारी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या एवं IFSC कोड का विवरण रहे) की हार्डकॉपी एवं मुखिया/ग्राम प्रधान/राजस्व कर्मचारी/अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी स्केन करके आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड करना होगा। (हर फसल के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र का उपयोग होगा)

a जो पात्र किसान ऑनलाईन आवेदन पत्र नहीं भर सकते है वे योजना के वेब पोर्टल से सीधे आवेदन पत्र डाउन लोड कर सकते हैं और निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक–VI) में वांछित विवरण भर सकते हैं और वांछित दस्तावेजों यथा–आवेदक का आधारकार्ड की हार्डकॉपी, बैंक खाता (जिसमें खाताधारी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या एवं IFSC कोड का विवरण रहे) की हार्डकॉपी एवं मुखिया/ग्राम प्रधान/राजस्व कर्मचारी/अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी स्केन करके आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड कर सकते है।

Scanned with CamScanner

b जोपात्र किसान अन्य भू:स्वामी की भूमिपर खेती करते हैं उन्हें भी उपर्युक्त रीति से आवेदन पत्र भरना पड़ेगा एवं आवेदन पत्र के साथ स्वयं का आधारकार्ड की हार्डकॉपी, बैंक खाता (जिसमें खाताधारी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या एवं IFSC कोड का विवरण रहे) की हार्डकॉपी एवं भू:स्वामी/मुखिया/ग्रामप्रधान/राजस्व कर्मचारी द्वारा इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र कि उनके द्वारा उक्त भूमि पर खेती की गयी है की हार्ड कॉपी स्केन करके आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

c पात्र किसान निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)/LAMPS/PACS पर जा सकते है और आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है और इसे भरने के बाद कॉमन सर्विस सेंटर/LAMPS/PACS की मदद से वेबसाइट पर वांछित कागजातों की हार्डकॉपी के साथ अपलोड करा सकते है, जिसके लिए उनके सेवा शुल्क रूपये 40/–(केवल चालीस रुपये) प्रति आवेदन मात्र देय होगा।

d आवेदन पत्र सफलता पूर्वक वेबपोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत, एक unique पंजीकरण संख्या वेबसाइट के माध्यम से प्रेषित की जाएगी और इसे किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।

e यदि कोई किसान मोबाइल पर अपना पंजीकरण संख्या प्राप्त नहीं करते है तो वे सीएससी/लैंपस/पैक्स से इसे प्राप्त कर सकते है या अपने आधार नंबर का उपयोग करके वे इसे स्वयं भी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है। सभी किसान अपने यूनिक पंजीकरण संख्या का उपयोग भविष्य में प्रसंग के लिए करेंगे।

15. कृषकों के निबंधन के उपरांत की प्रक्रिया:

- पात्र किसान के सफल पंजीकरण के उपरांत, एनआईसी के द्वारा सत्यापन और अनुमोदन के लिए किसानों द्वारा वेबपोर्टल पर दिए गए आंकड़ें/विवरण/वांछित दस्तावेजों को राजस्व कर्मचारी के लॉगिन में भेजा जायेगा। राजस्व कर्मचारी द्वारा आवेदनपत्र में अंकित विवरण एवं संलग्न दस्तावेजों के सत्यापन के उपरान्त उसे अनुमोदित करते हुए अंचल निरीक्षक (सीआई) के लॉगिन में अग्रसारित कर देंगे।

- अंचल निरीक्षक सभी किसानों के विवरणों को सत्यापित करेंगे और ऑनलाईन आवेदन को मंजूरी देने के उपरांत इसे अंचल अधिकारी (सीओ) के लॉगिन पर भेजेंगे।

- आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कमी के कारण अंचल निरीक्षक (CI) स्तर पर किसी भी आवेदन की अस्वीकृति के मामले में किसानों को अस्वीकृति के कारणों के साथ एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

- अंचल निरीक्षक (CI) आवेदक के आवेदन की अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट रूप से लिखेंगे या टिक करेंगे।

- आवेदक को आवश्यक कार्रवाई या सुधार के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस प्राप्त होगा।

Scanned with CamScanner

- अंचल निरीक्षक (CI) पंजीकृत किसानों की सत्यापित और अनुमोदित सूची को अंचल अधिकारी (CO) के लॉगिन में अग्रसारित करेंगे।

- अंचल अधिकारी (CO) Random तरीके से किसानों की सूची का 25% कृषकों का सत्यापन करते हुए आवश्यक अनुमोदन के उपरांत अपर समाहर्त्ता (AC) लॉगिन में कुल कृषकों की सूची अग्रसारित करेंगे।

- अपरसमाहर्त्ता (AC), अंचल अधिकारी (CO) से प्राप्त 10% किसानों की सूची का सत्यापन और अनुमोदन करेंगे।

- आवश्यक अनुमोदन के बाद अपर समाहर्त्ता (AC) अंतिम सूची को उपायुक्त (DC) के लॉगिन में अग्रसारित करेंगे।

- उपायुक्त (DC) भौतिक सत्यापन के लिए DLCC को कम से कम 2% किसानों की सूची सौंपेंगे।

- DLCC को किसानों और उनके दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करना है और सत्यापन के बाद DLCC सत्यापन रिपोर्ट उपायुक्त (DC) को प्रस्तुत करेगी।

- DLCC से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत, उपायुक्त (DC) किसानों की सूची को मंजूरी देंगे और इसे अग्रेतर कार्रवाई हेतु राज्य नोडल अधिकारी के लॉगिन पर भेजदेंगे।

16. फसल क्षति का आकलनः

राज्य में प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की वर्तमान उपलब्धता को देखते हुए, फसल क्षति का मूल्यांकन ग्राउंड ट्रुथिंग (Ground Truthing) प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। ग्राउंड ट्रुथिंग विधि नमूना अवलोकन और प्रति वर्ग मीटर में पौधे के घनत्व का संयोजन होगी। यह प्रक्रिया फसल के सभी चरणों जैसे बुवाई, खडी फसल एवं फसल की कटाई के लिए समान होगी। फसल कटाई के बाद के मामले में क्षति के आकलन के लिए आंखों द्वारा अवलोकन (Eye Observation) के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है।

ऐसी संभावनाएँ हैं कि फसल की अवधि के दौरान विभिन्न चरणों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार फसल क्षति हो सकती है। इसलिए, किसी भी श्रोत से फसल के नुकसान की रिपोर्ट मिलते ही जिले की सभी समितियों को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार होने की जरूरत है।

कृषकों के ग्रामों से प्राप्त फसल क्षति की प्रारंभिक रिपोर्टिंग पर ग्राम सभा की भूमि का महत्वपूर्ण है इसलिए ग्राम सभाओं को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया जाएगा। उपायुक्त को यह सुनिश्चित कराना होगा कि PLCC और संबंधित ग्राम सभा के बीच बेहतर समन्वय हो। PLCC को फोन और मोबाईल एप्प/सोशल मिडिया पर संबंधित ग्राम सभा के सीधे संपर्क में होना चाहिए।

Scanned with CamScanner

सूचनाओं का प्रवाहः

- **ग्राम-सभा एवं PLCC के मध्य** : PLCC सोशल मिडिया का उपयोग करते हुए मोबाईल फोन पर एक समूह बनाएगी और वास्तविक समय के आधार पर सूचना और अलर्ट के आदान–प्रदान के लिए प्रत्येक ग्राम सभा के कम से कम पाँच सदस्य को जोड़ेंगे।
- **PLCC एवं BLCC के मध्यः** BLCC वास्तविक समय के आधार पर सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए PLCC और BLCC के सदस्यों का एक सोशल मिडिया ग्रुप बनाएगी।
- **BLCC एवं DLCC के मध्यः** DLCC वास्तविक समय के आधार पर सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए BLCC और DLCC के सदस्य का एक सोशल मिडिया ग्रुप बनाएगी।
- **DLCC एवं SLCC के मध्यः** राज्य स्तरीय समिति वास्तविक समय के आधार पर सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए राज्य नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों के साथ –साथ DLCC और SLCC के सदस्यों का एक सोशल मिडिया ग्रुप बनाएगी।

17. फसल क्षति की रिपोर्टिंग एवं आकलनः

- ग्रामसभा के साथ PLCC निर्दिश्ट समय सीमा के भीतर फसल क्षति के प्रतिशत का आकलन करेगी।
- फसल क्षति के आकलन के लिए सर्वेक्षण एक के बाद एक गांवों में किया जाएगा। गावों में सर्वेक्षण का कार्यक्रम PLCC तय करेगी।
- क्षेत्र सर्वेक्षण करने से पहले, ग्राम सभा किसानों के आच्छादित क्षेत्र एवं फसल विवरणों की सूची संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक–I) में फसल क्षति की सूचना के 2 दिनों के भीतर तैयार करेगी।
- ग्राम सभा उपरोक्त विवरण के लिए ग्राम वार रजिस्टर में अंकित करेगी।
- उपरोक्त सूची तैयार होने के बाद ग्राम सभा फील्ड सर्वेक्षण करने के लिए PLCC को सूचित करेगी।
- PLCC 2 दिनों के भीतर सर्वेक्षण कार्य का संचालन करने के लिए ग्रामसभा के साथ फसल क्षति के तहत क्षेत्र का दौरा करेंगी और 7 दिनों के भीतर सर्वेक्षण कार्य समाप्त करेंगे। अतएव सर्वेक्षण कार्य की योजना मजबूत होनी चाहिए।
- PLCC और ग्राम सभा रैंडम तरीके से सर्वेक्षण के लिए ग्राम सभा द्वारा तैयार सूची में से 10% नमूने का चयन करेगी।
- PLCC और ग्राम सभा चयनित नमूने से व्यक्तिगत लाभार्थियों के क्षतिग्रस्त फसल के खेतों का दौरा करेगी और ग्राउंड ट्रूथिंग विधि द्वारा फसल क्षति का आकलन करेगी।
- ग्राउंड ट्रूथिंग विधि के तहत, PLCC कृषि क्षेत्र में फसल घनत्व के आकलन के लिए उपयोग किए जाने वाले 1X1 मीटर^2 के लोहे अथवा अन्य सामग्री से बने फ्रेम का उपयोग करेगी।

Scanned with CamScanner

- ग्राम सभा फील्ड मूल्यांकन के दौरान PLCC, BLCC और DLCC द्वारा ग्राउंड ट्रूथिंग कार्य करने के लिए 1X1 मीटर^2 के लोहे के फ्रेम की व्यवस्था करेगी।
- ग्रामसभा की उपस्थिति में PLCC, भारत सरकार के फसल काटने के प्रयोग मैनुअल में अनुशंसित या बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित निर्देशों के अनुसार नमूना क्षेत्र से 5 रैंड मस्थानों परन यूनतम 5 नमूने लेगा। यह प्रक्रिया सभी नमूना क्षेत्रों के लिए भी दोहराई जाएगी।
- इसके साथ ही PLCC विहित प्रारूप–प्रपत्र (अनुलग्नक–II) में मौकेप रही फसल क्षति के आकलन सम्बन्धी टिप्पणियों को भर देगी।
- ग्राउंड ट्रूथिंग का काम पूरा होने के बाद, PLCC पंजीकृत लाभार्थियों का विवरण उसी दिन आकलन टिप्पणियों के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगी, जिससे कि BLCC द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सके।
- वेबपोर्टल पर सैंपल ग्राउंड ट्रूथिंग डेटा अपलोड करने के बाद, BLCC, PLCC द्वारा किया गया सैंपल ग्राउंड ट्रूथिंग का 20% लाभार्थियों के क्षेत्र का चयन करेगी या न्यूनतम 2 क्षेत्रों में से, जो भी अधिक हो और प्रत्येक गांव का दौरा करते हुए ग्राउंड ट्रूथिंग की समान प्रक्रिया को ग्रामसभा के साथ दोहराएगी और अनुलग्नक–III में अपनी टिप्पणियों को भरेगी।
- BLCC विफल हुए बिना उसी दिन दौरा किए गए क्षेत्रों के सम्बन्ध में दी गयी अपनी टिप्पणियों को वेब पोर्टल पर अपलोड करेगी और इसे DLCC को अग्रसारित करेगी।
- BLCC से डेटा प्राप्त होने के उपरांत, उपायुक्त द्वारा जिला स्तर पर नामित फील्ड टीम जो कि DLCC के ही सदस्य होंगे जो कि रैण्डम तरीके से कुल प्रभावित प्रखंडों के न्यूनतम 30% या न्यूनतम 3 प्रखंडों में से, जोभी अधिक हो का चयन करेंगे तथा प्रत्येक चयनित प्रखंड में से, ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए न्यूनतम 3 गांवों का चयन करेंगे।
- DLCC पुनः प्रत्येकगाँव से चयनित नमूने से 2 क्षति ग्रस्त भूमिका चयन करेगी और ग्राउंड ट्रुथिंग कार्य को दोहराएगी और दिए गए प्रारूप/अनुलग्नक–IV में आंकड़ोंको संधारित करेगी।
- DLCC की फील्डटीम DLCC के द्वारा अग्रेतर अनुमोदन के लिए बिना विफल हुए उसी दिन पंजीकृत लाभार्थियों के क्षेत्र की टिप्पणियों को वेबपोर्टल पर अपलोड करेगी।
- DLCC के अध्यक्ष ग्राउंड ट्रूथिंग रिपोर्ट के अपलोड होने के 7 दिनों के अन्दर, DLCC की फील्ड टीम के द्वारा वेबपोर्टल पर अपलोड की गई ग्राउंड ट्रूथिंग रिपोर्ट के आधार पर फसल क्षति के आकलन के अंतिम अनुमोदन के लिए सभी DLCC सदस्यों की बैठक बुलाएंगे।
- DLCC की सिफारिशों के आधार पर, DLCC के अध्यक्ष अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर के वेबपोर्टल पर फसल क्षति मूल्यांकन डेटा को अनुमोदित करेंगे और इसे राज्य नोडल अधिकारी के लॉगिन पर भेज देंगे।

Scanned with CamScanner

- क्षेत्रों में ग्राउंड ट्रूथिंग कार्य को उसकी उपलब्धता के आधार पर फील्ड की सभी समितियों के द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग किया जा सकता है।

Ground truthing by using 1x1 square meter iron rod for crop damage assessment

18. ग्राउण्ड ट्रूथिंग के लिए एजेन्सी-वार नमूना चयनः

ग्रामसभा, PLCC, BLCC and DLCC:

नीचे दी गई तालिका विभिन्न स्तरों पर ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए नमूना चयन हेतु एक उदाहरण का प्रतिनिधित्व कर रही है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, ग्राम सभा उन सभी क्षेत्रों की सूची तैयार करेगी जिनमें फसल क्षति की सूचना दी गई है।

Village	V1	V2	V3	V4	V5
Gram Sabha	100%	100%	100%	100%	100%
PLCC	10%	10%	10%	10%	10%
BLCC	20%	20%	20%	20%	20%
DLCC	-	-	-	-	-

PLCC ग्राम सभा द्वारा प्रदान की गई सूची से 10% नमूना क्षेत्रों का चयन करेगा और BLCC, सत्यापन के बाद PLCC द्वारा चयनित, सत्यापित और अपलोड किए गए नमूने से 20:नमूनों का चयन करेगा।

DLCC:

जैसा कि पहले ही उल्लेखित है, DLCC की फील्ड टीम रैंडम तरीके से 30% प्रखंडों या न्यूनतम 3 प्रखंडों का चयन करेगी, जोभी प्राप्त सूची के अनुसार अधिक हो और फिर वे प्रत्येक चयनित ब्लॉक से 3 गांवों को रैंडम तरीके से चुनेंगे और प्रत्येक गाँव के 2 भूखंडों में ग्राउंड ट्रूथिंग का संचालन करेंगे। BLCC के द्वारा किये गए सर्वेक्षण का सत्यापन DLCC के द्वारा किया जायेगा।

नोटः मूल्यांकन में उच्च स्तर की सटीकता स्थापित करने के लिए ग्राउंड ट्रूथिंग केवल उन नमूनों पर BLCC और DLCC द्वारा किया जाएगा जो PLCC द्वारा पहले ही सत्यापित किया जा चुका है।

Scanned with CamScanner

19. फसल क्षति मुआवजा:

- फसल क्षति के मामले में, एक पेआउट मैट्रिक्स (Payout Maxtrix) विकसित किया गया है। पेआउट मैट्रिक्स प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान पर पिछले अनुभव और समझ पर आधारित है। DLCC की सिफारिशों और अनुमोदन के आधार पर, पात्र किसानों को फसल क्षति के अनुरूप सहायता राशि डी0बी0टी0के माध्यम से निम्नानुसार दिया जाएगा।

- कम से कम 20 प्रतिशत फसल क्षति का नुकसान होने की स्थिति मेंही ये फसल सहायता किसानों को दी जाएगी।

- 20 प्रतिशत के उपर फसल क्षति नुकसान होने पर निम्नलिखित तालिका के अनुसार पंजीकृत किसानों को pro rata के आधार पर फसल क्षति हेतु नगद सहायता का लाभ दिया जाएगा।

फसल क्षति का %	राशि (रूपया में)	भूमिसीमा (एकड़ में)
Upto 20%	3,000/-प्रति एकड़	0.1 – 5
21%से 25%	3,075/-प्रति एकड़	0.1 – 5
26%से 30%	3,150/-प्रति एकड़	0.1 – 5
31%से 35%	3,225/-प्रति एकड़	0.1 – 5
36%से 40%	3,300/-प्रति एकड़	0.1 – 5
41%से 45%	3,375/-प्रति एकड़	0.1 – 5
46%से 50%	3,425/-प्रति एकड़	0.1 – 5
51% से 55%	3,500/-प्रति एकड़	0.1 – 5
56% से 60%	3,575/-प्रति एकड़	0.1 – 5
61% से 65%	3,625/-प्रति एकड़	0.1 – 5
66% से 70%	3,700/-प्रति एकड़	0.1 – 5
71% से 75%	3,775/-प्रति एकड़	0.1 – 5
76% से 80%	3,825/-प्रति एकड़	0.1 – 5
81% से 85%	3,900/-प्रति एकड़	0.1 – 5
86% से उपर	4,000/-प्रति एकड़	0.1 – 5

- पंजीकृत किसानों को उपरोक्त तालिका के अनुसार सहायता राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी। यदि भुगतान राशि 100 रुपये से कम है, तो भी पात्र किसान को न्यूनतम 200 रुपये मिलेंगे।

- Payout Slab निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित Assumptions लिए गए है :–

- कृषि निदेशालय के Data Source के आधार पर वर्तमान में राज्य में धान की उपज 2236 Kg./Hectare i.e. 905 Kg/AcregSr थाम कई की उपज 1970 Kg./ Hectare i.e. 797 Kg./ Acre है। राज्य में धान एवं मकई के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) क्रमशः Rs-1815/- per Quintal एवं Rs-1760/- per Quintal है।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर एक एकर में धान के फसल का पूरा मूल्य लगभग रूपए 16400 होता है। तथा मक्का केलिए लगभग रूपए 14000 होता है। एक दिसिमल धान फसल का मूल्य लगभग164 रूपए तथा मक्का के लिए लगभग 140 रूपए होगा। फसल बीमा योजना के बीते वर्षों के आंकड़ों का आकलन के आधार पर पाया गया की औसतन प्रति किसान 0.96 एकर भूमि फसल बीमा के अंतर्गत पंजीकृत हुई थी तथा औसत प्रीमियम राशि प्रति एकर रूपए1570 थी। औसतन प्रति एकर क्लेम सेटलमेंट राशि 3982रूपए था। अतः उपरोक्त आंकड़ों के आकलन के आधार पर यह माना जासकता है की JRFRY के अंतर्गत 4000 रूपए प्रतिएकर एक श्रेयस्कर फसल क्षतिपूर्ति राशि होगी। यह राशि पूर्ण फसल क्षति के मूल्य का लगभग 25% होगा। एक दिसिमल भूमि धारक को न्यूनतम 200रूपए तक क्षति पूर्ति राशि दी जा सकती है। यह राशि पंजीकरण शुल्क की भी भरपाई कर लेगी। हालांकि, SLCC की सिफारिश के आधार पर पेआउट स्लैब को साल–दर–साल संशोधित किया जा सकता है।

20. किसानों को फसल क्षति निपटारा एवं सहायता राशि का प्रेषणः

राज्य सरकार किसानों को सेवाओं के वितरण में उच्च स्तर की पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं राज्य सरकार पहले ही कई योजनाओं में लाभार्थियों के बैंक खाते में धन के प्रेषण के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का उपयोग कर रही है।

जिले से फसल क्षति सहायता रिपोर्ट और सहायता राशि की मांग प्राप्त होने पर, राज्य नोडल अधिकारी पी.एफ.एम.एस.पोर्टल (PFMS) का उपयोग करके डीबीटी मोड के माध्यम से जिले में योजना के बैंक खाते में आवश्यक निधि हस्तांतरित करेंगे। जिला के द्वारा पी.एफ.एम.एस. पोर्टल का उपयोग करते हुए डीबीटीमोड के माध्यम से पात्र लाभुक कृषकों को मुआवजा राशि जारी किया जायेगा। लाभार्थियों के बैंक खाते में मुआवजे की राशि के प्रेषण के बाद, पंजीकृत लाभार्थियों के मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा। मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को अपना बचत बैंक खाता नंबर देना होगा। किसी भी स्थिति में, इस योजना में सहायता राशि के प्रेषण में किसी भी अन्य तरीके (Physical Mode) का उपयोग नहीं किया जाएगा।

जिला में राज्य नोडल अधिकारी से निधि प्राप्त होते ही, सम्बंधित जिला के द्वारा पात्र लाभुक किसानों को और अन्य प्रशासनिक देन दारियों को ससमय धनराशि जारी करना सुनिश्चित किया जायेगा और इस की सूचना राज्य नोडल अधिकारी को दी जाएगी। जिला को सभी मामलों में सरकारी वित्तीय नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

मुआवजे के प्रेषण के बाद, उपायुक्त वेबपोर्टल के माध्यम से व्यक्तिगत लाभार्थियों को एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे। लाभार्थी अपने पंजीकरण संख्या का उपयोग करके वेबपोर्टल से अपने क्षति पूर्ति राशि के संबंध में प्रमाणपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। भुगतान स्थिति की जांच करने हेतु लाभार्थियों के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया जा सकता है।

21. योजना के लिए नोडल बैंक एवं बैंक के संचालन की प्रक्रियाः

इस योजना के लिए राशि प्रेषण को सुव्यवस्थित करने के लिए बैंक की भूमि का बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसलिए, झारखंड राज्य सहकारी बैंक राज्य में इस योजना के लिए नोडल बैंक होगा। राज्य नोडल

Scanned with CamScanner

अधिकारी झारखंड राज्य सहकारी बैंक के साथ राज्य स्तरपर रांची में दो खाता खोलेंगे। पहला खाता JRFRY योजना खाता होगा और दूसरा JRFRY प्रशासनिक खाता होगा। वे इस योजना के लिए नामित खातों में मुआवजे के उद्देश्य और प्रशासनिक उद्देश्य के लिए आवंटित राशि जमा करने की व्यवस्था करेंगे।

किसी भी स्थिति में योजना राशि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। हितधारक उस उद्देश्य के लिए निधि का उपयोग सुनिश्चित करेंगे जिसके लिए यह निर्धारित किया गया है तथा इसमें सरकारी वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य है। सरकार द्वारा समय–समय पर नियमों या प्रक्रियाओं में संशोधन भी उसी के अनुसार लागू होंगे।

इसके अलावा नोडल बैंक को सभी स्तरों पर फसल राहत राशि के ससमय त्रुटिमुक्त वितरण एवं उच्च स्तर की सेवाएं प्रदान करने के लिए संबंधित हितधार कों के साथ समन्वय करना है। इसलिए, नोडल बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए बैंकिंग आवश्यकताओं की कसौटी पर खरा उतरे।

नोडल बैंक किसी भी हितधारक के शिकायत के निवारण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी और वास्तविक समय (Real Time) पर फसल राहत राशि का वितरण सुनिश्चित करेगी।

झारखण्ड राज्य के सभी जिला में झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक में झारखण्ड कृषि राहत योजना का दो अलग–अलग खाता खोला जायेगा पहला खाता JRFRY योजना खाता होगा और दूसरा JRFRY प्रशासनिक खाता होगा। धनबाद जिला के लिए धनबाद जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 में इस योजना का खाता खोला जायेगा। जिन जिलों यथा गढ़वा पलामू एवं लातेहार में झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक कार्यरत नहीं है वहाँ संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में JRFRY योजना खाता एवं JRFRY प्रशासनिक खाता खुलवाना एवं संचालित करना सुनिश्चित करेंगे।

22. PFMS Portal पर योजना का ऑन-बोर्डिंग एवं समन्वय:

योजना को वेबपोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा और सभी आवश्यक राशि का प्रेषण डीबीटी के माध्यम से किया जायेगा, इसलिए, योजना–सह–वित्तविभाग के अंतर्गत राज्य PFMS और NIC के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राज्य नोडल पदाधिकारी वास्तविक समय में राशि प्रेषण प्रक्रिया के लिए PFMS पोर्टलपर इस योजना के ऑन–बोर्डिंग और एकीकरण की व्यवस्था करेंगे।

राज्य स्तर पर पीएफएमएस, इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य भर में PFMS से संबंधित हितधारकों को सभी सहायता, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, प्रक्रिया के मानक और आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य नोडल पदाधिकारी, योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एक–दूसरे के बीच सूचनाओं के उचित आदान–प्रदान हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के लिए पीएफएमएस, एनआईसी एवं नोडल बैंक को सूचित करेंगे। PFMS, NIC और नोडल बैंक संबंधित परिचालन के लिए उच्चस्तर का समन्वय सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में राज्य नोडल पदाधिकारी हस्तक्षेप करेंगे और जल्द से जल्द मामलों का निपटारा करेंगे।

Scanned with CamScanner

नोडल बैंक इस योजना के लिए PFMS पर ऑन–बोर्डिंग के लिए PFMS की परिचालन आवश्यकता को पूरा करना सुनिश्चित करेगी ।

जैसाकि, यह योजना NIC और PFMS के समन्वय से वेबपोर्टल के माध्यम से लागू होगी, इसलिए ये दोनों एजेंसियॉं सभी संबंधित हितधारकों के लिए पहले से आवश्यक दिशा–निर्देश या SOP अच्छी तरह से प्रसारित करेंगी और दिशा निर्देशों में कोई संशोधन या परिवर्तन भी समय–समय पर हितधारकों के बीच प्रसारित करेंगी ताकि योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी भ्रम से बचा जा सके।

23. योजना के लिए बजट उपबंध एवं उसके प्रावधानः

राज्य सरकार हर वित्तीय वर्ष के लिए योजना हेतु बजट की घोषणा वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पहले ही कर देगी। निर्धारित बजट राज्य सरकार द्वारा प्रकाषित किया जाएगा और राज्य नोडल पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित हितधारकों को प्रसारित किया जाएगा।

योजना के चक्रीय और निरंतर प्रकृतिको ध्यानमें रखते हुए, बजटीय प्रावधान इस तरह से किए जाएंगे कि Spill Over Liability और अगले वित्तीय वर्षों के लिए लंबित भुगतान के मामले में भी योजना की वित्तीय आवश्यकता पूरी हो सके। ताकि योजना के सफल संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो।

योजना के कार्यान्वयन के दौरान अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के मामले में SLCC की अनुशंसा या राज्य सरकार की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर अनुपूरक बजट के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

योजनान्तर्गत वेबपोर्टल का विकास, पोर्टल का रख–रखाव, डेटासेंटर, योजना का प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता, सर्वेक्षण कार्य, जियोटैगिंग, कंट्रोल रूम स्थापित करने और पेशेवर एजेंसियों की सेवाओं के लिए फीस आदि जैसे अलग–अलग खर्च होंगे। इन खर्चों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक व्यय के तहत एक प्रावधान किया जाएगा और कुल बजट का 5% इस उद्देश्य के लिए रखा जाएगा। हालाँकि, निर्धारित व्यय से अधिक और अतिरिक्त व्यय के मामले में, SLCC व्यय के प्रस्ताव के मूल्यांकन के उपरांत निर्णय करेगी।

नोडल एजेंसी समीक्षा और अनुमोदन के लिए नोडल विभाग को प्रशासनिक व्यय का एक विस्तृत व्योरा (breakup के साथ) प्रस्तुत करेगी।

(नोटः किसी भी महामारी की स्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति अपेक्षित होने की स्थिति में, SLCC की अनुशंसा के आधार पर बजटीय प्रावधान को बदला जा सकता हैं)

24. तकनीकी सहायता टीम या इकाईः

योजना के कार्यान्वयन के दौरान निरन्तर कई स्तरों पर कई गतिविधियाँ संचालित होंगी। इसके अलावा, किसानों का पंजीकरण, किसानों का आंकड़ा प्रबंधन, मौसम की भविष्यवाणी, मौसम के जोखिम की भविष्यवाणी और संबंधित आंकड़ों का प्रबंधन, फसल क्षति सर्वेक्षण, सूचना का प्रवाह, कमियों की पहचान और इसके प्रबंधन, महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रसार, सभी हितधारकों से समन्वय, किसानों की शिकायतों का निवारण आदि महत्वपूर्ण कार्य होंगे ।

Scanned with CamScanner

इसके अलावा, ऐसी कई एजेंसियां होंगी जो योजना के अंतर्गत एक साथ काम कर रही होंगी। इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु सभी हितधारकों के बीच उच्च स्तर के समन्वय की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, मानव संसाधन की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए और कार्य को देखते हुए, योजना के कार्यान्वयन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान पेशेवर सहायता की आवश्यकता है ।

इसलिए, राज्य नोडल एजेंसी योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियों की सहायता के लिए पेशेवर सलाहकार एजेंसी नियुक्त कर सकती है।

योजना के संचालन की आवश्यकता और मांग के आधार पर इसे समय बद्ध तरीके से पूरा करने के लिए एक अनुभवी पेशेवर सलाहकार एजेंसी, जिसके पास राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समान प्रकृति की योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में पर्याप्त अनुभव और ज्ञान हो, ई–खरीद या ई–निविदा की विधि के माध्यम से चुना जा सकता है।

ऐसी एजेंसियों को योजना के अंतर्गतऑन–बोर्डिंग एवं इनकी गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य नोडल एजेंसी द्वारा एक अलग दिशा निर्देश जारी किया जाएगा।

25. शिकायत निवारण एवं लाभार्थियों के शिकायतों के निपटान की प्रक्रियाः

आमतौर पर, सरकारी योजना की सफलता और विफलता के लिए शिकायत निवारण महत्वपूर्ण कारक बन जाता है और यह सबसे अधिक चुनौती पूर्णत होता है जब लाभार्थी किसान होते हैं। इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिकायतों के निवारण को कुशल एवं प्रभावी तरीके से संभालने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया जाए और इसे योजना में शामिल किया जाए।

लाभार्थियों की शिकायतों को संभालने के लिए, पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक एक सेल बनाया जाएगा।

यह सुनिश्चित किया जाएगा किसी भी स्तर आपस में अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और वास्तविक समय के आधार पर लाभार्थियों की शिकायतों का समाधान किया जारहा है। लाभार्थियों के शिकायतों को हलकरने के लिए प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

शिकायत निवारण कोषांग के 4 स्तर निम्नानुसार होंगेः

- पंचायत स्तरीय शिकायत निवारण कोषांगः इस सेल में PLCC के सदस्य शामिल होंगे और सोशल मिडिया पर ग्राम सभा से जुड़े होंगे। वे किसानों की शिकायतों पर ध्यान देंगे और उनकी प्रतिक्रिया को नोट करेंगे तथा मुद्दे को हल करने का प्रयास करेंगे।

- प्रखंड स्तरीय शिकायत निवारण कोषांगः इस सेलमें BLCC के सदस्य शामिल होंगे और सोशल मिडिया पर PLCC से जुड़े होंगे। यह कोषांग किसानों से शिकायत प्राप्त कर उनका निवारण करने का प्रयास करेगा।

Scanned with CamScanner

- जिला स्तरीय शिकायत निवारण कोषांगः इस सेल में DLCC के सदस्य या DLCC के अध्यक्ष के द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे और सोशल मिडिया पर BLCC से जुड़े होंगे। यह को शांग BLCC के द्वारा किसानों की शिकायत प्राप्त होने पर उनका निवारण करने का प्रयास करेगा।

- राज्य स्तरीय शिकायत निवारण कोषांगः इस सेल में राज्य नोडल पदाधिकारी के द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे और सोशल मिडिया पर DLCC से जुड़े होंगे। यह को शांग DLCC के द्वारा किसानों की शिकायत प्राप्त होने पर उनका निवारण करने का प्रयास करेगा।

- शिकायत निवारण कोषांग स्थापित करने के लिए, राज्य स्तरपर योजना नोडल पदाधिकारी सभी स्तरों पर अधिकारियों की सूची उनके पद नाम और मोबाइल नंबर के साथ प्राप्त करेंगे, जो जिला नोडल पदाधिकारी की मदद/समन्वय से प्राप्त शिकायतों का निपटारा करेंगे। पदाधिकारियों की सूची उनके विवरण के साथ सार्वजनिक उपयोग के लिए वेब पोर्टल पर प्रकाषित की जाएगी।

शिकायतों के निवारण की प्रक्रियाः

- जागरूकता और प्रचार अभियान के दौरान किसानों को शिकायत निवारण की व्यवस्था के विषय में सूचित किया जाएगा। शिकायत निवारण संबंधी विषय को प्रचार सामग्री पर इंगित किया जाएगा ।

- किसान अपनी शिकायत वेबपोर्टल के माध्यम से या फोन पर दर्ज करा सकते हैं अथवा वे किसी भी शिकायत निवारण कोषांग से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

- शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत निवारण अधिकारी किसानों के विवरण और किसानों को दी गई सलाह के साथ रजिस्टर में शिकायत दर्ज करेंगे।

- शिकायत संचालन अधिकारी सभी विवरणों के साथ पंजीकृत शिकायतों को वेब पोर्टल पर दर्ज करेंगे।

- निचले स्तर की शिकायत निवारण कोषांग अपने तत्काल उच्च स्तरीय शिकायत निवारण कोषांग से मार्ग दर्शन लेंगे। कोई भी शिकायत निवारण कोषांग मार्ग दर्शन हेतु अपने तत्काल उच्च स्तर के शिकायत निवारण कोषांग तक ही सीमित रहेंगे ।

- किसी भी प्रमुख मामले में, DLCC आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने निचले स्तर की शिकायत निवारण कोषांग को मार्ग दर्शन और सहायता प्रदान करेगी ।

Scanned with CamScanner

26. विभिन्न विभागों/अभिकरणों(Agencies) की भूमिका और जिम्मेदारियाँ:-

उपर्युक्त प्रक्रियाओं के अलावा, संबंधित हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की विस्तृत सूची निम्नांकित है:

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ
	नोडल विभाग (कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग)	• योजना का प्रारूप तैयार करना, निगरानी, नियंत्रण और कार्यान्वयन • योजना की कार्यान्वयन एजेंसियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को तय करना • सरकार से आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय और परिचालन स्वीकृति प्राप्त करना • राज्य सरकार और सहायक विभागों के बीच समन्वय • नोडल एजेंसी और जिला प्रशासन के बीच समन्वय • SLCC की बैठकों का आयोजन करना और उनकी अनुशंसा को प्रस्तावित करना • बजटीय प्रावधान, अनुमोदन और निधि का आवंटन • जिलास्तर के नोडल अधिकारियों की अधिसूचना • अन्य, को ईकार्य यदि नोडल एजेंसी के अनुरोध के आधार पर अपेक्षित हो • योजना के दिशा निर्देशों से विचलन पर कार्रवाई करना
	सहयोगीविभाग	• योजना के कार्यान्वयन में नोडल विभाग की सहायता करना • योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी सहायता प्रदान करना और गतिविधियों को पूरा करने के लिए अपने क्षेत्र स्तर के एजेंसियों, कार्यालयों और अधिकारियों को निर्देश देना।

नोडल विभाग के अन्तर्गत विभिन्न निदेशालयों/एजेन्सिज की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ
	नोडल एजेंसी (निबंधक सहयोग समितियाँ झारखण्ड राँची)	• योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना • योजना के परिचालन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना • आवश्यक क्रिया-कलापों के लिए सहायक कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना • योजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति के साथ समन्वय स्थापित करना • मानव संसाधन एवं आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करना • शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकारियों की पर्याप्त संख्या के साथ राज्य स्तरीय शिकायत निवारण कोषांग की स्थापना • योजना के लिए आवश्यक निधि का प्रेषण • योजना के प्रचार-प्रसार,जागरूकता अभियान, पात्र किसानों के पंजीकरण, प्रचार सामग्री के प्रदर्शन एवं वितरण, फसल क्षति के सर्वेक्षण में लैम्पस/पैक्स की भागीदारी सुनिश्चित करना।
	कृषि निदेशालय (Directorate of Agriculture)	• योजना कार्यान्वयन में नोडल एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जिला और निचले स्तर के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी और सहभागिता सुनिश्चित करना • किसानों को उच्चस्तर की सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना • नोडल एजेंसी को पंचायत स्तरतक के क्षेत्रीय अधिकारियों का विवरण प्रदान करना • फसल आच्छादन की स्थिति और वर्षा के आंकड़े प्रदान करना • नोडल एजेंसी को फसल कवरेज और अन्य संबंधित विवरण प्राप्त करने में सहायता • जागरूकता और प्रचार-प्रसार में सक्रिय भागीदारी • प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रदर्शन और वितरण

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ
	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	• आवश्यक क्षेत्र संचालन(Field Operation) के बारे में नोडल एजेंसी को सूचित करना • SLCC को सहायता और सलाह देने के लिए एक तकनीकी टीम का गठन • फील्ड अधिकारियों को फसल सर्वेक्षण और फसल क्षति पर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन • प्रखंड स्तर तक फसल और मौसम सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रदान करना • किसानों को फसल सम्बन्धी सभी आवश्यक सहायता प्रदान करना • किसानों और हितधारकों को वैज्ञानिक औरत कनीकी सहायता के लिए **KVK** और अनुसंधान स्टेशन की निगरानी • मौसम और जल वायु विचलन का अनुश्रवण और सभी हित धारकों को इसकी सूचना एवं नियंत्रण उपायों की सलाह प्रदान करना • सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक प्रथाओं को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना
	Nodal Bank	• नोडल एजेंसी, एनआईसी, पीएफएमएस और जिला नोडल अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय समन्वय सुनिश्चित करना • राज्य स्तर और जिला स्तर पर वांछित बैंक खाता खोलने का कार्य सुनिश्चित करना • भुगतान और प्राप्तियों पर रिपोर्टिंग के लिए दैनिक एमआईएस प्रणाली का विकास करना • बैंकिंग लेनदेन के लिए सभी अधिकृत अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर सुनिश्चित करना • नोडल एजेंसी से बैंकिंग लेन देन के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची प्राप्त करना • पीएफएमएस और एनआईसी के समन्वय से बैंकिंग लेनदेन के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कार्यक्रम की व्यवस्था

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ
सहयोगी विभाग के अन्तर्गत आनेवाले निदेशालय/एजेंसी की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ		
	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (Department of Revenue, Registration& Land Reforms)	• परिचालन मार्गदर्शिका के अनुसार गतिविधियों को संपन्न करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश • योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्था के लिए निदेशालय के माध्यम से नोडल एजेंसी को सहयो गप्रदान करना • भूमिडेटा के उपयोग के लिए NIC को आवश्यक निर्देश • आवश्यकतानुसार भूमि के डिजिटलीकरण के बारे में जानकारी प्रदान करना
	योजना-सह-वित्त. विभाग	<u>अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय</u> • BAU के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जिला स्तर और निचलेस्तर के पदाधिकारियों के साथ समन्वय से क्षेत्र स्तर पर सर्वेक्षण कार्य का समय परसंचालन सुनिश्चित करना • क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय से वेब पोर्टल पर फसल सर्वेक्षण डेटा कोस समय अपलोड करने का कार्य सुनिश्चित करना • फसल क्षति के आकलन के लिए नोडल एजेंसी और DLCC की सहायता करना • नोडल एजेंसी या नामित समिति द्वारा सुझाई गई कोई अन्य गतिविधियों का संचालन <u>राज्य पी0एम0यू0 **PFMS**</u> • एन0आई0सी0, नोडल एजेंसी तथा एन0पी0सी0आई0 के साथ समन्वय स्थापित कर योजना पोर्टल को समेकित करना। • समयबद्ध रूप से हितधारकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित तौर पर आयोजित करना। समय-समय पर नोडल विभाग द्वारा अथवा नोडल एजेंसी द्वारा सहयोगी विभागों के समस्याओं का समाधान करना।

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ
	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	एन0आई0सी • नोडल विभाग, नोडल एजेंसी एवं सहायक विभाग की सहायता एवं समन्वय से वेबपोर्टल का विकास • JAPIT/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से आवश्यक तकनीकी संरचना की व्यवस्था • वेबपोर्टल में तकनीकी सुधार या वेबपोर्टल पर वांछित सूचनाओं को जोड़ने या हटाने के लिए अन्य राज्यों या एजेंसियों के साथ समन्वय • नोडल विभाग, सहायक विभागों, नोडल एजेंसियों, राज्य से जिला स्तर तक सहायक एजेंसियों को सलाह और सुझाव देना • सभी स्तर के हितधारकों की आईटी से संबंधित आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना • हितधारकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑनलाईन बैठक की व्यवस्था करना • महामारी की स्थिति में, बैठक के वैकल्पिक उपायों की व्यवस्था करना • योजना से संबंधित मोबाइल ऐप का विकास • अन्य एजेंसियों के साथ वेबपोर्टल का एकीकरण से संबंधित कार्य • साइबर सुरक्षा उपायों का विकास • नोडल एजेंसी के सुझाव के अनुसार वेबपोर्टल का रखरखाव और संशोधन • वेबपोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों के लिए सामूहिक एसएमएस सुविधा का एकीकरण वेबपोर्टल पर आधिकारिक सामग्री, डेटा, सूचना, संदेशों को अपलोड करने में हितधारकों को सहायता प्रदान करना

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ
		JAPIT • एनआईसी को आवश्यक आईटी संरचना की व्यवस्था • सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आईटी के बुनियादी ढांचे के लिए लागत मॉडल तैयार करना • पर्याप्त बैंड विड्थ के साथ डेटा सेंटर की व्यवस्था • अन्य आवश्यकताओं के लिए नोडल एजेंसी और अन्य सहायक एजेंसियों के साथ समन्वय
		CSC • वेबपोर्टल पर किसानों के पंजीकरण की व्यवस्था के लिए NIC और नोडल एजेंसी के साथ समन्वय • किसानों के पंजीकरण पर दैनिक प्रतिवेदन • आवेदनपत्र प्राप्त करने में कृषकों की सहायता करना किसानों के बीच प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रदर्शन और वितरण
	Jharkhand Space Application Centre	**JSAC** • मौसम विश्लेषण में शुद्धता और दक्षता लाने के लिए मौसम स्टेशना/स्वचालित मौसम केंद्रों की व्यवस्था या आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना • रिमोट सेंसिंग के कुशल उपयोग से मौसम, जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित आवश्यक डेटा प्रदान करना • संबंधित मामले में अन्य राज्यों के साथ समन्वय करते हुए योजना के कार्यान्वयन में सर्वोत्तम प्रथाओं को व्यवहार में लाना • फील्ड अधिकारियों के लिए जियो-टैगिंग की व्यवस्था और नोडल एजेंसी या सहायक एजेंसियों को सुझाव प्रदान करना
		IMD • नोडल एजेंसी और अन्य सहायक एजेंसियों को पंचायत स्तर तक मौसम डेटा और मार्गदर्शन प्रदान करना • मौसम पूर्वानुमान और प्राकृतिक आपदाओं का आंकड़ा प्राप्ति में तकनीकी सुधार के लिए BAU और JSAC के साथ उचित समन्वय • पंचायत स्तर तक मौसम स्टेशनकी संख्या बढ़ाना

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ
	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	**IPRD** • जागरूकता और प्रचार-प्रसार सामग्री का डिजाइन और विकास जैसे-टीवीबाइट्स, विज्ञापन, पोस्टर, स्टिकर, होर्डिंग्स, वॉलपेंटिंग, ऑडियो विजुअल आदि • योजना के बारेमें स्पष्ट और प्रभावी संचार के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करना • जागरूकता और प्रचार-प्रसार अभियान के लिए रणनीतियों का निर्माण • जनसंचार से संबंधित आवश्यक संचालन के लिए नोडल एजेंसी और अन्य सहायक एजेंसियों के साथ समन्वय
	ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज निदेशालय)	ग्राम सभा • पात्र किसानों और PLCC को सभी सहायता प्रदान करना • किसानों के सत्यापन में भागलेना और इस योजना के लिए किसानों की अनुशंसा करना • इस योजना के तहत किसानों को नामांकन के लिए जुटाना और संवेदनशील बनाना • गांव में प्रत्येक किसान परिवार को योजना के लाभ का प्रसार • परिचालन मार्गदर्शिका के दिशा निर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड का रखरखाव • PLCC के निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के क्षेत्र के कार्यों के लिए अपना सहयोग प्रदान करना • किसानों की शिकायतों का समाधान • जागरूकता और प्रचार-प्रसार के लिए अपना सहयोग प्रदान करना • PLCC एवं कृषकों के मध्य समन्वय • PLCC को फसल क्षति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रेषित करना • PLCC एवं कृषकों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान

Scanned with CamScanner

27. विभिन्न समितियों एवं उनकी भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ:

क्र.सं.	समिति का नाम	भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियाँ
	राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC)	• DLCC को प्रशासनिक औरत कनीकी सहायता प्रदान करना • राज्य में योजना के कार्यान्वयन प्रक्रिया की समग्र समीक्षा • संशोधनों पर, यदि कोई हो, तो सरकार को अनुशंसा करना • आवश्यक अधिसूचना जारी करना
	जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC)	• BLCC को प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना • जिले में योजना के कार्यान्वयन प्रक्रिया की समग्र समीक्षा करना • समय बद्ध तरीके से योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना • शिकायत निवारण कोषांग का दृढ़तापूर्वक कार्य संपादन सुनिश्चित कराना • जागरूकता और प्रचार-प्रसार का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना • निधि का प्रेषण एवं बैंकिंग कार्य • सभी हितधारकों के साथ समन्वय • योजना के दिशा-निर्देशानुसार सभी कार्यों का ससमय संपादन
	प्रखण्ड स्तरीय समन्वय समिति (BLCC)	• PLCCको प्रशासनिक और तकनीकी सहायता • प्रखंडमें योजना के कार्यान्वयन प्रक्रिया की समग्र समीक्षा करना • समयबद्ध तरीके से योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना • जागरूकता और प्रचार-प्रसार का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना • PLCC एवं ग्राम-सभा से समन्वय • योजना के दिशा-निर्देशानुसार सभी कार्यों का ससमय संपादन

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	समिति का नाम	भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियाँ
	पंचायत स्तरीय समन्वय समिति (PLCC)	• ग्रामसभा और किसानों को तकनीकी सहायता • योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार जागरूकता और प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ • समय बद्ध तरीके से फील्ड सर्वेक्षण कार्य की व्यवस्था • फसल प्रबंधन के लिए निरंतर सेवाएं प्रदान करना • उच्चस्तरीय शिकायत निवारण कोषांग से प्राप्त सभी सूचनाओं का प्रसार • क्षेत्र स्तर पर कार्य के कार्यान्वयन की उचित योजना तैयार करना
	विभागीय कार्यकारी समिति (DEC)	• कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी और समीक्षा • नीतिगत मामलों पर SLCC को आवश्यक अनुशंसा • नोडल एजेंसी और SLCC के बीच समन्वय • आवश्यक संचार के लिए नोडल एजेंसी को सहायक विभाग और एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए सहयोग प्रदान करना • प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर नोडल एजेंसी को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना

Scanned with CamScanner

28. नोडल पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ:

क्र.सं.	नोडल पदाधिकारी	भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियाँ
	राज्य नोडल पदाधिकारी	• जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारियों के साथ उच्चस्तर का समन्वय • सभी पहलुओं में योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना • SLCC एवं DLCC के सदस्यों के साथ समन्वय • दिशा निर्देशों के अनुसार सभी गतिविधियों की निगरानी • मुख्यालय स्तर पर सभी प्रमुख हितधारकों के बीच समन्वय • बैंकिंग परिचालन और राशि प्रेषण की व्यवस्था • राज्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना • ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक जानकारी का प्रवाह • SLCC और नोडल विभाग की अनुशंसा के आधार पर निर्देश जारी करना • सभी गतिविधियों की रिपोर्टिंग • तेजी से शिकायतों का निवारण • योजना से संबंधित सभी अभिलेखों का रख-रखाव और उसका अंकेक्षण सुनिश्चित करना • ग्रामसभा, PLCC, BLCC और DLCC के क्षेत्र सर्वेक्षण टीम को मानक पूर्व-मुद्रित रजिस्टर बुक्स प्रदान करना • SLCC और नोडल विभाग द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य
	जिला नोडल पदाधिकारी	• SLCC एवं BLCC सदस्यों के बीच उच्च स्तरीय समन्वय • समय पर बैठकों की व्यवस्था • राज्य नोडल अधिकारी और DLCC को प्रतिवेदित करना • समय बद्ध तरीके से योजना के कार्यान्वयन के लिए सशक्तरण नीति • ग्रामसभा, PLCC, BLCC और DLCC को मानक पूर्व-मुद्रित रजिस्टर बुक्स प्रदान करना • ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक जानकारी का प्रवाह • दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकिंग परिचालन और राशि प्रेषण की व्यवस्था • दिशा निर्देशों के अनुसार योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना • DLCC और राज्य नोडल पदाधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य • योजना से संबंधित सभी अभिलेखों का रख रखाव

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	नोडल पदाधिकारी	भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियाँ
	प्रखण्ड नोडल पदाधिकारी	• जिला नोडल पदाधिकारी और पंचायत नोडल पदाधिकारी के बीच उच्च स्तरीय समन्वय • पंचायत-वार क्षेत्र सर्वेक्षकों को नामित करना (अनुलग्नक VII) • BLCC के सदस्यों के बीच समन्वय • समयबद्ध तरीके से योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना • ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक जानकारी का समय पर प्रवाह • जागरूकता और प्रचार-प्रसार का सशक्त कार्यान्वयन • परिचालन दिशा निर्देशों का सख्त अनुपालन • PLCC के साथ बैठकों की समयबद्ध व्यवस्था • शिकायतों का समय परनिपटारा • जिला नोडल पदाधिकारी को रिपोर्ट करना • योजना से संबंधित सभी अभिलेखों का रखरखाव
	पंचायत नोडल पदाधिकारी	• प्रखंड नोडल पदाधिकारी और ग्राम सभा के बीच उच्च स्तरीय समन्वय • दिशा निर्देशों के अनुसार सभी गतिविधियों को समय पर पूरा करना • समयबद्ध तरीके से कृषकों के बीच जागरूकता और योजना का प्रचार सुनिश्चित करना • प्रखंड नोडल पदाधिकारी के परामर्श से फील्ड सर्वेयर की व्यवस्था • प्रखंड नोडल पदाधिकारी को रिपोर्ट करना • ग्राम सभा को सभी सहायता सुनिश्चित करना और योजना के संचालन एवं कार्यान्वयन के लिए सभी व्यवस्थाओं को तैयार करना • किसानों के समय पर पंजीकरण के लिए राजस्व अधिकारियों, CSC, लैम्पस/पैक्स और ग्राम सभा के साथ समन्वय • PLCC के सदस्यों के बीच समन्वय • PLCC सदस्यों और ग्राम सभा की बैठक का आयोजन • शिकायत का तेजी से निपटान • योजना से संबंधित सभी अभिलेखों का रखरखाव • ग्रामसभा और उसके सदस्यों की सूची उनके संपर्क नंबर के साथ तैयार करना और इसे प्रखंड नोडल पदाधिकारी को रिपोर्टिंग

Scanned with CamScanner

29. समय-सीमा:

कृषि एक समय बद्ध गतिविधि हैं अतः समय पर रिपोर्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य नोडल पदाधिकारी, सभी सहायक विभागों, एजेंसियों और निचले स्तर के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए समय पर बैठकों और विभिन्न रिपोर्टों को प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। योजना के समय बद्ध और सफल क्रियान्वयन के लिए सहायक विभाग, एजेंसियां और हितधारक, नोडल एजेंसी को सभी सहायता भी प्रदान करेंगे।

इसलिए, विभिन्न स्तरों पर इस योजना के संचालन हेतु एक टाइम लाइन चार्ट तैयार किया गया है:

For Action Plan:

S.No.	Committee	Schedule		
		Kharif	Rabi	Activities
1	Proposals by Nodal agency	1st Week of January	1st Week of July	Action Plan & proposals
2	Departmental Committee Meeting	2nd week of January	2nd week of July	Action plan & Recommendations
2	SLCC Meeting	4th week of January	4th week of July	Action Plan & Notifications
3	DLCC Meeting	1st week of Feburary	1st Week of Aug	Action Plan & Recommendations
4				
5	BLCC Meeting	2nd Week of February	2nd Week of Aug	Action Plan
6	PLCC Meeting	3rd Week of Feburary	3rd week of Week	Action Plan

Note: Proceedings of DEC, SLCC, DLCC meeting by Nodal agency within 3 days of meeting for compilation and necessary action.

Nodal officer of District will collect all proceeding from DLCC, BLCC & PLCC and forward it to State Nodal Officer within 3 days of meeting for necessary action.

For Review of Implementation process:

S.No.	Committee	Schedule
1	Departmental Committee Meeting	4th week of every month
2	SLCC Meeting	On request of Department level Committee
3	DLCC Meeting	2nd& 4th week of every month
5	BLCC Meeting	Every Week- Weekend
6	PLCC Meeting	Every Week- Weekend

Scanned with CamScanner

For Awareness & Publicity Campaign:

Season	Start of Campaign	End of Campaign
Kharif	April 1st week	4th Week May
Rabi	August 1st Week	4th Week of September

For Crop Damage assessment:

Season	Sowing/Transplanting stage	Pre harvesting- Post Harvesting Stage
Kharif	30th September	15th December
Rabi	30th November	15th February

For Crop Coverage:

Season	Crop Coverage	Rainfall
Kharif	Every Week	Every week
Rabi	Every week	Every week

For Weather Report:

Season	Crop Coverage	Rainfall
Kharif	Every Week	Every week
Rabi	Every week	Every week

नोटः- आवश्यकतानुसार इस परिचालन मार्ग दर्शिका में वर्णित प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रावधानों आवश्यक परिवर्तन निम्नानुसार किया जा सकेगा, जो सर्व–मान्य होगा तथा इस की सूचना सभी हि धारकों को समय–समय पर प्रदान की जाएगीः–

क्र.सं.	परिवर्तन	सक्षमप्राधिकार
	प्रशासनिक परिवर्तन	सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड,
	वित्तीय परिवर्तन	राज्य स्तरीय समन्वय समिति

30. मार्गनिर्देशिका प्रारूप पर मंत्रि परिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

संकल्प संख्या–18 दिनांक–04.01.2021

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक-I

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना

फसल नुकसान के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण का प्रतिवेदन (पंजी में)

गाँव का नाम एवं राजस्व थाना संख्याः-		ग्राम पंचायत का नामः-	
प्रखण्ड का नामः-		जिला का नामः-	

क्र. सं.	दिनांक	शिकायत कर्त्ता कृषक का नाम	पंजीकरण संख्या	मोबाईल नं0	आधार संख्या	फसल का नाम	रकबा		सर्वे खाता संख्या	प्लॉट संख्या	शिकायत कर्त्ता कृषक का हस्ताक्षर	मुखिया / ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर
							एकड़	डिसमिल				

नोटः- कृषकों से प्राप्त फसल नुकसान संबंधी सूचना के उपरान्त ग्राम सभा क्षेत्र सर्वेक्षण हेतु सूची तैयार कर इससे PLCC को अवगत करायेगी।

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक-II

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना

PLCC द्वारा ग्राउंड ट्रूथिंग सर्वेक्षण संबंधी प्रतिवेदन

ग्राम पंचायत का नामः-															
प्रखण्ड का नामः-									जिला का नामः-						
क्र. सं.	दिनांक	गाँव का नाम एवं राज. स्वथाना संख्या	कृषक का नाम	पंजीकरण संख्या	फसल का नाम	सर्वे खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़/डिसमिल)	हानि का प्रतिशत (%) (प्रत्येक प्लॉट पर पाँच स्थानों पर रैंडम तरीके से नमूना लेना है						हानि का कारण (योजनान्तर्गत स्वीकृत प्राकृतिक कारण मान्य होंगे)
									नमूना स्थान-1	नमूना स्थान-2	नमूना स्थान-3	नमूना स्थान-4	नमूना स्थान-5	नमूना स्थान औसत (1+2+3+4+5)/5	

(हस्ताक्षर)
सर्वेक्षण कर्त्ता

(हस्ताक्षर)
लैम्पस/पैक्स के अध्यक्ष/सदस्य सचिव

(हस्ताक्षर)
हल्का कर्मचारी

(हस्ताक्षर)
ATM/BTM

(हस्ताक्षर)
पंचायत सचिव

(हस्ताक्षर)
मुखिया

नोटः- PLCC और ग्राम सभा रैंडम तरीके से सर्वेक्षण के लिए ग्राम सभा द्वारा तैयार सूची में से 10% नमूना क्षेत्र या न्यूनतम 10 नमूना प्लॉट का चयन करेगी।

अनुलग्नक-IV

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना

DLCC द्वारा ग्राउंड ट्रूथिंग सर्वेक्षण संबंधी प्रतिवेदन

ग्राम पंचायत का नामः-			
प्रखण्ड का नामः-		जिला का नामः-	

क्र.सं.	दिनांक	गाँव का नाम एवं राज. स्वथाना संख्या	कृषक का नाम	पंजीकरण संख्या	फसल का नाम	सर्वे खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़/ डिसमिल)	हानि का प्रतिशत(%) (प्रत्येक प्लॉट पर पाँच स्थानों पर रैंडम तरीके से नमूना लेना है						हानि का कारण (योजनान्तर्गत स्वीकृत प्राकृतिक कारण मान्य होंगे)
									नमूना स्थान-1	नमूना स्थान-2	नमूना स्थान-3	नमूना स्थान-4	नमूना स्थान-5	नमूना स्थान औसत (1+2+3+4+5) / 5	

(हस्ताक्षर) सर्वेक्षण कर्त्ता	(हस्ताक्षर) सर्वेक्षण कर्त्ता	(हस्ताक्षर) सर्वेक्षण कर्त्ता	(हस्ताक्षर) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी	(हस्ताक्षर) जिला सहकारिता पदाधिकारी	(हस्ताक्षर) उपायुक्त

नोटः–BLCC से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त DLCC रैंडम तरीके से कुल प्रभावित प्रखण्डों के न्यूनतम 30% या न्यूनतम 3 प्रखण्डों में से, जो भी अधिक हो का चयन करेगी।प्रत्येक चयनित प्रखण्ड में से ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए न्यूनतम 3 गाँव का चयन किया जायेगा।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक-III

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना

BLCC द्वारा ग्राउंड ट्रूथिंग सर्वेक्षण संबंधी प्रतिवेदन

ग्राम पंचायत का नामः-			
प्रखण्ड का नामः-		जिला का नामः-	

क्र. सं.	दिनांक	गाँव का नाम एवं राजस्वथाना संख्या	कृषक का नाम	पंजीकरण संख्या	फसल का नाम	सर्वे खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़ / डिसमिल)	हानि का प्रतिशत (%) (प्रत्येक प्लॉट पर पाँच स्थानों पर रैंडम तरीके से नमूना लेना है						हानि का कारण (योजनान्तर्गत स्वीकृत प्राकृतिक कारण मान्य होंगे)
									नमूना स्थान-1	नमूना स्थान-2	नमूना स्थान-3	नमूना स्थान-4	नमूना स्थान-5	नमूना स्थान औसत (1+2+3+4+5) / 5	

(हस्ताक्षर) ग्राम-पंचायत पर्यवेक्षक

(हस्ताक्षर) हल्का कर्मचारी

(हस्ताक्षर) प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी

(हस्ताक्षर) प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी

(हस्ताक्षर) प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी

(हस्ताक्षर) अंचलाधिकारी / अंचल निरीक्षक

(हस्ताक्षर) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

नोटः- BLCC, PLCC द्वारा किये गए ग्राउंड ट्रूथिंग सैंपल में से 20% पंचायतों का चयन करेगी एवं उन पंचायतों में से प्रभावित 10% प्लॉट या न्यूनतम 2 प्लॉट, जो भी अधिक हो का चयन कर उनका ग्राउंड ट्रूथिंग सर्वेक्षण करेगी।

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक-V

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना

BLCC के द्वारा चयनित पंचायत–वार क्षेत्र सर्वेक्षकों की सूची का प्रारूप प्रपत्र

क्र. सं.	क्षेत्र सर्वेक्षक का नाम	आधार संख्या	शैक्षणिक योग्यता	लिंग	मोबाईल नं0	आवंटित पंचायत	प्रखण्ड	जिला	बैंक खाता संख्या	IFSCकोड	बैंक का नाम

(हस्ताक्षर)
प्रखण्ड नोडल पदाधिकारी

(हस्ताक्षर)
जिला नोडल पदाधिकारी

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक -VI

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना

पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र

(एक फसल एवं एक प्लाट के लिए आवेदन पत्र)

1. आवेदक का नाम :						
2. उम्र - वर्ष में (आधार कार्ड के अनुसार)		मोबाइल नंबर				
3. आधार संख्या						
(आवेदक को आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना है साथ ही इसे पोर्टल पर भी अपलोड करना है।)						
4. लिंग (कृपया टिक करें)	पुरुष	महिला	5. श्रेणी	सामान्य	अ.पि.व.	अ.जा. / अ.ज.जा.
6. आवेदक का पता : (कृपया कोष्ठक में भरें)	ग्राम :			पंचायत :		
	प्रखंड :			जिला :		
7. आवेदक का प्रकार (कृपया टिक करें)	रैयत :			गैर-रैयत :		

8. आवेदक अगर रैयत हो तो निम्नलिखित सूचना अंकित करें :

a) क्या आवेदक भारत सरकार के PM KISAN पोर्टल पर पूर्व से निबंधित है अथवा नहीं (कृपया टिक करें)	हाँ	नहीं
b) *अगर आवेदन PM KISAN पोर्टल पर पूर्व से निबंधित नहीं है तो कृपया ग्राम सभा एवं हल्का कर्मचारी से सत्यापित वंशावली संलग्न करें।*		
c) भूमि का सर्वे खाता संख्या :		
d) प्लाट संख्या :		

9. आवेदक अगर गैर-रैयत हो तो निम्नलिखित सूचना अंकित करें :

a) रैयत कृषक का नाम जिसकी भूमि पर आवेदक द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है :	
b) रैयत का आधार संख्या	
e) भूमि का सर्वे खाता संख्या :	
f) प्लाट संख्या :	

10. फसल का नाम एवं फसल क्षेत्र की विवरणी जिसमे कृषि कार्य किया जा रहा है (केवल एक फसल के लिए)		एकड़	डिसमिल
11. फसल बुवाई / रोपनी की तिथि (DD/MM/YYYY)			

12. आवेदक की बैंक विवरणी : (कृपया केवल बचत खाता संख्या दें)

a) बैंक खाता संख्या :	
b) IFSC कोड	
c) बैंक का नाम :	

नोट:- आवेदक वैध पासबुक की छायाप्रति संलग्न करेंगे एवं इसकी स्कैन प्रति को पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

आवेदक की स्व-घोषणा :

मैं .... (आवेदक का नाम) घोषणा करता हूँ कि मैं झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना-2020-21 के अंतर्गत सभी प्रावधानों से सहमत हूँ एवं मेरे द्वारा उपरोक्त अंकित सभी सूचनाएं मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है। यदि उपरोक्त अंकित कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है एवं मैं इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने का पात्र नहीं रहूँगा साथ ही सक्षम प्राधिकार के द्वारा मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

मुखिया / ग्राम प्रधान का अनुमोदन एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ) दिनांक :	हल्का कर्मचारी / राजस्व कर्मचारी का नाम एवं हस्ताक्षर दिनांक :	आवेदक का हस्ताक्षर दिनांक :

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना
प्रचालन मार्ग निर्देशिका

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार

Scanned with CamScanner